"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगता (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु नुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ जट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 394] रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 सितम्बर 2013—भाद्र 11, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-23/2012/आ. प्र./1-3.—छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

अध्याय-एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 कहलाएंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013);

(ख) "आवेदक" से अभिप्रेत है, विहित रीति में प्रमाणपत्र, सत्यापन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका प्रमाणपत्र जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा विनिश्चित अनुसार सत्यापित किया जाना हो, या ऐसा व्यक्ति जिसके नियोक्ता, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, यथास्थिति, केन्द्र शासन या राज्य शासन, के द्वारा उसका प्रमाणपत्र जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति को सत्यापन के लिए संदर्भित किया गया हो;

(ग) "आवेदन" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन आवेदन;

(घ) "प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ण) में यथापरिभाषित तथा धारा 4 की उप–धारा (1) के अधीन जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र;

(ङ) "राष्ट्रपतीय अधिसूचना की तिथि" से अभिप्रेत है, अनुसूचित जाति के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 1950 तथा अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 06 सितम्बर, 1950;

(च) "अन्य राज्यों से प्रवासी" से अभिप्रेत है, व्यक्ति जिसने राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि के पश्चात, यथास्थिति, अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में प्रवास किया हो अथवा जिसका जन्म राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि के पश्चात, यथास्थिति, हुआ हो:

परंतु उसके पिता अथवा वैध पालक के द्वारा राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि के पश्चात्, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में प्रवास किया हो;

(छ) "अनावेदक" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, वह नियोक्ता अथवा शैक्षणिक संस्थान अथवा स्थानीय प्राधिकरण, राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन, जिसके द्वारा आवेदक का प्रमाणपत्र सत्यापन हेतु सत्यापन समिति को निर्दिष्ट किया गया है;

(ज) "अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि" से अभिप्रेत है, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984;

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में राज्यपाल द्वारा जारी आदेश या समय–समय पर यथा संशोधित अन्य पिछड़े वर्गों की अधिसूचित सूची;

(ञ) "विहित" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अंतर्गत विहित;

(ट) "राष्ट्रपतीय अधिसूचना" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 एवं अनुच्छेद 342 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी तथा संसद द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित आदेश;

(ठ) "अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है, नियम 10 के अधीन प्ररुप 4ख में जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र;

(ड) **"नातेदार"** से अभिप्रेत है, आवेदक के पितृपक्ष के रक्त संबंधी नातेदार;

(ढ) **"ग्राम सभा के संकल्प"** से अभिप्रेत है, आवेदक की सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में उस ग्राम, जहां आवेदक निवास करता है, की ग्राम सभा के द्वारा जारी कोई घोषणा, निष्कर्ष, निर्णय अथवा संकल्प, जिससे आवेदक की सामाजिक प्रास्थिति, निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो सके;

(ण) **"छानबीन समिति"** से अभिप्रेत है प्रमाणपत्रों के छानबीन के लिए, अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन गठित उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति;

(त) "सत्यापन प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र को विधिमान्य करते हुए, जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा जारी प्रमाणपत्र;

(थ) "सत्यापन समिति" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन आवेदक को जारी प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए, जिले में गठित जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति।

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में परिभाषित हैं।

अध्याय–दो
सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी किया जाना

3. प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र.– (1) आवेदक स्थायी आधार पर प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिए, प्ररुप–1क में सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(2) आवेदक स्वयं या डाक या चॉइस सेन्टर या सामान्य सेवा केन्द्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(3) आवेदक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :–

(क) प्ररुप–2क में शपथपत्र मूल प्रति में;

(ख) आवेदक का पिछली तीन पीढ़ियों से प्रारंभ, हल्का पटवारी द्वारा सम्यक् रुप से जारी वंशवृक्ष;

(ग) ऐसे दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उसके पूर्वज, यथास्थिति, राष्ट्रपतीय अधिसूचना की तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि, पर या उसके पूर्व से, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास कर रहे हैं;

(घ) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 67 के अनुपालन में, राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ की अधिसूचना दिनांक 23/09/2000 के पैरा (1) एवं (2) में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित अधिकारी/कर्मचारी या उनकी संतान के आवेदक होने की स्थिति में, ऐसे

दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की सम्यक रूप से अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, जिससे यह प्रमाणित हो कि--

(एक) आवेदक के पूर्वज, यथास्थिति, राष्ट्रपतीय अधिसूचना की तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि, पर या उसके पूर्व से, वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास कर रहे थे;

(दो) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 67 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में उन्हें आबंटित किया गया हो;

(ङ) निम्नांकित में से कोई दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, जिसमें आवेदक के पिता अथवा पूर्वज की जाति उपदर्शित है अर्थात् :–

(एक) पूर्वजों के राजस्व दस्तावेज (मिसल);

(दो) जमाबंदी (सर्वे) या गिरदावरी;

(तीन) राज्य बंदोबस्त;

(चार) अधिकार अभिलेख (1954);

(पॉच) जनगणना (1931);

(छे:) वन विभाग की जमाबंदी;

(सात) नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (1949);

(आठ) जन्म या मृत्यु पंजी;

(नौ) यदि पिता अथवा पूर्वज शिक्षित थे, तो प्रवेश (दाखिल/खारिज) पंजी;

(दस) पिता, पूर्वज अथवा संबंधी (नातेदार) को पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र;

(ग्यारह) जहां जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न हो, ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में पारित संकल्प;

(च) अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के संबंध में, आवेदक के पिता का पूर्व वर्ष का आय प्रमाण पत्र;

(छ) समुचित डाक टिकट सहित पूर्ण एवं स्पष्ट पता लिखा हुआ लिफाफा।

(4) आवेदक, सत्यापन के समय या जब कभी भी आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी, जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति अथवा छानबीन समिति, यथास्थिति, के समक्ष मूल प्रमाणपत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

4. आवेदन का पंजीयन. – सक्षम प्राधिकारी आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पंजी में विहित प्ररूप 5क में आवेदन का पंजीयन करेगा।

5. आवेदन पत्र की प्रारंभिक जाँच, पावती एवं वापसी ज्ञापन.–(1) आवेदन पत्र के पंजीयन के उपरांत, सक्षम प्राधिकारी संक्षिप्त रुप से प्रारंभिक जाँच करेगा, और विनिश्चित करेगा कि आवेदनपत्र पूर्ण है अथवा नहीं, तथा उसके साथ नियम 3 के उप–नियम (3) के अधीन वांछित दस्तावेज संलग्न है अथवा नहीं, यदि सक्षम प्राधिकारी यह पाता है कि आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न है तो वह

प्ररूप 3क में विहित पावती आवेदक को उपलब्ध करायेगा तथा यदि अपेक्षित दस्तावेज संलग्न नही है तो प्ररूप 3ख में वापसी ज्ञापन, आवेदनपत्र की प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर, आवेदक को उपलब्ध करायेगा।

(2) यथास्थिति, पावती अथवा वापसी ज्ञापन, का प्रतिपर्ण सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय मे रखा जायेगा।

6. असमर्थता ज्ञापन.–(1) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ऐसा आवेदक, जिसने प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है, यदि नियम 3 के उप–नियम (3) के अधीन वांछित दस्तावेज, समुचित प्रयास के उपरांत भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो वह, वापसी ज्ञापन के पृष्ठ भाग में मुद्रित विहित प्ररूप 3ग में ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने में उसकी असमर्थता के बारे में शपथ पत्र दे सकेगा।

(2) असमर्थता ज्ञापन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी, नियम 3 के उप–नियम (3) के अधीन वांछित दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की मांग नहीं करेगा और नियम 8 के अनुसार आवेदक के दावे की जॉच करेगा:

परन्तु आवेदक, ऐसी जॉच के दौरान सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट जॉच अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा तथा संबंधित व्यक्तियों को उपस्थित कराने में सभी आवश्यक सहयोग करेगा ताकि सामाजिक प्रास्थिति के उसके दावे की पुष्टि हो सके ।

7. जांचकर्ता अधिकारी.– सक्षम प्राधिकारी आवेदनपत्र के प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर, या तो स्वयं जॉच प्रारंभ करेगा अथवा किसी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को जॉच हेतु निर्देशित करेगा।

8. जांच.– (1) जांचकर्ता अधिकारी, आवेदक के निवास, स्थायी पता, राजस्व रिकार्ड, अचल संपत्ति, आवेदक के परिवार का व्यवसाय, मतदाता सूची में नाम एवं अन्य साक्ष्य, जो कि राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित अधिसूचना तिथि, यथास्थिति, पर स्थायी निवासी प्रमाणित करने हेतु तथा आवेदक के द्वारा दावा किये गये सामाजिक प्रास्थिति को प्रमाणित करने हेतु सुसंगत हो, के संबंध में जांच करेगा।

(2) जॉचकर्ता अधिकारी नियम 3 के उप–नियम (3) में उल्लिखित दस्तावेजों के अतिरिक्त स्थानीय संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर पालिक निगम, के दस्तावेजों की भी जॉच कर सकेगा।

(3) जॉचकर्ता अधिकारी ग्राम कोटवार, ग्राम सरपंच, हल्का पटवारी, स्थानीय पार्षद, क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों, वहां के रहने वाले राजपत्रित अधिकारियों, ऐसे स्थानीय सदस्यों जो उस जाति के पहले से प्रमाणपत्रधारी हैं तथा आवेदक को भली–भॉति जानते हैं, के मौखिक कथन भी साक्ष्य के रूप में अभिलिखित कर सकेगा।

(4) जॉचकर्ता अधिकारी, जहॉ वह स्वयं सक्षम प्राधिकारी नहीं है, जॉच उपरांत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अभिलिखित किए गए मौखिक कथनों के साथ अपना लिखित प्रतिवेदन स्पष्ट निष्कर्ष के साथ, जॉच आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर, सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

9. सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र.– सक्षम प्राधिकारी, नियम 3 के उप–नियम (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियम 8 के अधीन जॉच कर और जहॉं वह स्वयं जॉचकर्ता अधिकारी नहीं है, जॉचकर्ता अधिकारी के प्रतिवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों से स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत, आवेदन की प्राप्ति के एक माह के अंदर, अनुसूचित जाति के आवेदक को प्ररूप 4क(1) में अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्ररूप 4क(2) में तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को प्ररूप 4क(3) में प्रमाणपत्र जारी करेगा।

10. अस्थायी प्रमाणपत्र.– (1) कक्षा दसवीं तक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अथवा ऐसे स्तर पर छात्रवृत्ति अथवा शिष्यवृत्ति प्रदान करने हेतु अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों हेतु, जहां बड़ी संख्या में प्रमाणपत्र की अपरिहार्यता है एवँ ऐसे प्रमाणपत्र यथा समय जारी किया जाना संभव नहीं है, तो, आवेदक के द्वारा प्ररूप 2क में दिए गए शपथ पत्र के आधार पर सक्षम प्राधिकारी प्ररूप 4ख में, आवेदन की तिथि से पन्द्रह दिवस के अंदर, अस्थायी प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा:

परन्तु सक्षम प्राधिकारी प्ररूप 5ख में जारी अस्थायी प्रमाणपत्र का विवरण संधारित करेगा।

(2) अस्थायी प्रमाणपत्र केवल छः माह की अवधि के लिए अथवा स्थाई प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए वैध होगा।

11. अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवासित आवेदक के लिए प्रमाणपत्र.– ऐसे मामले में जहां आवेदक अन्य राज्यों से प्रवासी हो, सक्षम अधिकारी, उस राज्य में, यदि आवश्यक हो, तो संबंधित राज्य के जिला मजिस्ट्रेट या सत्यापन समिति या सतर्कता प्रकोष्ठ के माध्यम से उसकी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में विस्तृत जाँच पड़ताल करने के उपरांत प्ररूप 4ग में प्रमाण पत्र जारी करेगा:

परन्तु ऐसे प्रमाणपत्र धारक उस राज्य, जिससे वह प्रवासित है, में यथास्थिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग, को प्रदत्त सुविधाओं का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।

12. अस्वैच्छिक प्रवास.– अविभाजित मध्यप्रदेश के शासकीय सेवक तथा निगम, आयोग, मण्डल एवं सार्वजनिक उपक्रम के ऐसे अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण, जो मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य एवं छत्तीसगढ़ राज्य के बीच कैडर विभाजन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य में आवंटित हुये हैं, ऐसे कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्य, यदि वे छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, तो उनको मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य में अस्वैच्छिक प्रवास किया गया समझा जायेगा, तथा उन्हे इस प्रकार प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा और उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण का लाभ देय होगा।

13. प्रमाणपत्र, दस्तावेज पंजी.– सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र का विवरण विहित प्ररूप 5ग में दर्ज किया जायेगा।

अध्याय–तीन
प्रमाणपत्र का सत्यापन

14. जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति का गठन.– (1) राज्य शासन, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए, एक या अधिक जिलों पर अधिकारिता रखने वाली, जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति का निम्नानुसार गठन करेगा :–

(क) कलेक्टर द्वारा नामांकित जिला मुख्यालय में पदस्थ अपर कलेक्टर अथवा डिप्टी कलेक्टर; –अध्यक्ष

(ख)	कलेक्टर द्वारा नामांकित अनुसूचित जनजाति वर्ग का द्वितीय श्रेणी से अनिम्न का एक अधिकारी;	–सदस्य
(ग)	कलेक्टर द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति वर्ग का द्वितीय श्रेणी से अनिम्न का एक अधिकारी;	–सदस्य
(घ)	कलेक्टर द्वारा नामांकित अन्य पिछड़ा वर्ग का द्वितीय श्रेणी से अनिम्न का एक अधिकारी;	–सदस्य
(ङ)	संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नामांकित एक विषय विशेषज्ञ अधिकारी अथवा तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारी;	–सदस्य
(च)	सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ।	–सदस्य सचिव

(2) सत्यापन समितियों के लिए विषय विशेषज्ञ अधिकारी के पद पर या तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, समुचित अधिकारी या कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, तो संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारी अथवा तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारी को सदस्य के रुप में नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) सत्यापन समितियों में नामांकित सेवानिवृत्त विषय विशेषज्ञ अधिकारी या तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारी के लिए, मानदेय राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(4) सत्यापन समितियों की बैठकें, आवश्यकतानुसार प्रत्येक सप्ताह नियत दिवस को आयोजित की जायेगी:

परंतु समिति की बैठक, अध्यक्ष के निर्देश पर मात्र एक दिवस की अल्प सूचना पर भी आहूत की जा सकेगी।

15. प्रमाणपत्र का सत्यापन एवं सत्यापन समिति को संदर्भीकरण– (1) यदि यथास्थिति, संबंधित लोक नियोजक, शैक्षणिक संस्थान या संवैधानिक निकाय, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार को शिकायत प्राप्त होती है अथवा संदेह उद्भूत होता है कि नियुक्त, प्रवेशित, निर्वाचित, नामित अथवा नामांकित व्यक्ति ने त्रुटिपूर्ण रुप से या कपटपूर्वक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है, तो वह प्ररूप 2ख में ऐसे व्यक्ति को शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहेगा, तथा प्ररुप 1ख में सत्यापन समिति को प्रकरण निर्दिष्ट करेगा ।

(2) सत्यापन समिति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये कुल प्रमाण पत्रों के लगभग 10 प्रतिशत कमरहित नमूना पद्धति के माध्यम से नमूना जॉच के रूप में करेगी। आवेदक, सत्यापन समिति से ऐसी सूचना के संबंध में पूछे जाने के लिए स्वंतत्र नही होगा कि उसके प्रमाणपत्र का चयन सत्यापन हेतु क्यों किया गया है।

(3) सत्यापन समिति, किसी भी आवेदक को, उसकी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में प्ररूप 2ग में शपथ पत्र के साथ प्ररूप 1ग में आवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित कर सकेगा तथा नियम 3 के उप–नियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित ऐसे दस्तावेज को जो उसकी सामाजिक प्रास्थिति के सत्यापन हेतु आवश्यक हो, को प्रकट करेगा ।

(4) कोई अनावेदक, किसी प्रमाण पत्र को सत्यापन समिति को संदर्भित करने के स्थान पर, आवेदक को भी निर्देशित कर सकेगा कि वह अपना प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा सत्यापित करावे। ऐसी स्थिति में आवेदक अपना मूल प्रमाणपत्र, प्ररूप 2 ग में शपथ पत्र के साथ प्ररूप 1 ग में आवेदन पत्र तथा नियम 3 के उप–नियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

(5) सत्यापन समिति से उप–नियम (3) के अधीन निर्देशित किए जाने अथवा अनावेदक से उप–नियम (4) के अधीन सत्यापन समिति से उसे अपना प्रमाणपत्र सत्यापित कराने का निर्देश दिए जाने पर, आवेदक, शपथ पत्र के साथ उपरोक्त उल्लिखित आवेदन पत्र तथा नियम 3 के उप–नियम (3) में यथा अपेक्षित दस्तावेज एक माह की अनधिक अवधि के भीतर, प्रस्तुत करने हेतु आबद्ध होगा, ऐसा करने से विफल रहने पर समिति एक पक्षीय निर्णय ले सकेगी तथा ऐसे आवेदक के प्रमाणपत्र को नियम 18 के अधीन छानबीन समिति को अग्रेषित कर सकेगी,

परंतु जहां आवेदक, सत्यापन समिति को इस बात का समाधान करा देता है कि एक माह की विहित समयावधि के भीतर, समुचित कारणों से, आवेदन पत्र, शपथ पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका है तो सत्यापन समिति, आवेदक के प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए समयावधि बढ़ा सकेगी।

16. सत्यापन समिति द्वारा आवेदन पत्र का पंजीयन.– (1) सत्यापन समिति, प्ररूप 5घ में विहित किए गए अनुसार पंजी में, आवेदक अथवा अनावेदक से सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीयन करेगी।

(2) सत्यापन समिति, आवेदन पत्र प्राप्त होने के 7 दिवस के अंदर, प्ररूप 5घ में आवेदक अथवा अनावेदक, यथास्थिति, को उसकी पावती प्रेषित करेगी।

17. सत्यापन समिति के द्वारा प्रमाणपत्र का सत्यापन.– (1) यदि सत्यापन समिति, आवेदन पत्र एवं उससे संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट हो, तो एक माह से अनधिक की अवधि के भीतर, आवेदक, उसके पालक अथवा अनावेदक को, अनुसूचित जाति से संबंधित होने पर प्ररूप 4घ(1) में, अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने पर प्ररूप 4ध(2) में तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने पर प्ररूप 4घ(3) में सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करेगी:

परंतु यदि आवेदक, उसका पालक अथवा अनावेदक, यथास्थिति, के द्वारा डाक से प्रेषित किए जाने का निवेदन किया जाता है, तो समिति, उसे पंजीकृत डाक से प्रेषित करेगी।

(2) सत्यापन समिति, प्ररूप 5ड. में सत्यापन प्रमाणपत्र का विवरण संधारित करेगा।

18. आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट न होने पर, सत्यापन समिति द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया.– (1) जहा सत्यापन समिति, आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट नहीं है, तो वह आवेदनपत्र के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिवस के भीतर अथवा अनावेदक द्वारा संदर्भित होने के पन्द्रह दिवस के भीतर, आवेदक तथा अनावेदक, यदि कोई हो, को तत्संबंध में उक्त कारणों का उल्लेख करते हुए, जिससे वह संतुष्ट नहीं है, सूचित करेगी तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।

परन्तु सत्यापन समिति, तीन माह की अनधिक अवधि में सुनवाई पूर्ण करेगी तथा जहां समिति की राय हो कि प्रमाणपत्र त्रुटिपूर्वक या कपटपूर्वक अभिप्राप्त किया गया प्रतीत होता है तो नियम 20 के अधीन छानबीन समिति को मूल प्रमाणपत्र सहित सुसंगत दस्तावेज तथा अपने निष्कर्ष जांच के लिए अग्रेषित करेगी तथा आवेदक एवं अनावेदक, यदि कोई हो, को भी सूचित करेगा ।

(2) सत्यापन समिति, छानबीन समिति को अग्रेषित प्रमाण पत्र का विवरण प्ररूप 5च में संधारित करेगी ।

अध्याय–चार

प्रमाणपत्रों की जॉच, निरस्तीकरण एवं जप्ती

19. उच्च स्त य प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा मामलों का पंजीकरण.– (1) उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन मिति उसे सत्यापन समिति अथवा राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट प्रकरणों को प्ररूप–5छ में पंजीकृत रेगी।

20. सतर्कता कोष्ठ के माध्यमं से प्रकरण की जॉच.– (1) छानबीन समिति सत्यापन समिति अथवा राज्य शासन द्व । उसे निर्दिष्ट प्रकरणों में संबंधित समस्त दस्तावेजों तथा प्रमाण पत्र को प्ररूप–6क में उप पुलिस अ क्षक के अधीन गठित सतर्कता प्रकोष्ठ की ओर अग्रेषित करेगी;

(2) न पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ पुलिस निरीक्षक के माध्यम से प्रकरण की जॉच करेगा था तद्नुसार उसकी सूचना छानबीन समिति को देगा।

(3) तर्कता प्रकोष्ठ के पुलिस निरीक्षक–

( ) आवेदक के स्थानीय निवास, मूल एवं सामान्य निवास स्थान या प्रवासित होने के पूर्व उसके मूल निवास स्थान के ऐसे नगर, या शहर या गांव की तलाश करेंगे;

( ) यथास्थिति, आवेदक या उसके माता–पिता या उसके पालक, के द्वारा दावा किये गये सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में सत्यता की जांच लोक दस्तावेजों के आधार पर करेंगे;

( ) आवेदक के द्वारा सत्यापन समिति को प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित जानकारी का सत्यापन सुसंगत लोक दस्तावेजों एवं विश्वसनीय प्रायवेट दस्तावेजों के आधार पर करेंगे;

(ग्राम कोटवार, ग्राम संरपंच, हल्का पटवारी, स्थानीय पार्षद, क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों, स्थानीय राजपत्रित अधिकारियों, ऐसे स्थानीय सदस्यों, जो पूर्व से प्र ाणपत्र धारी हैं तथा आवेदक को भली–भॉति जानते हैं, से जानकारी प्राप्त करेंगे तथा यदि उनमें से कोई मौखिक कथन देने हेतु सहमत है, तो वह स्वयं उनके मौखिक कथन तद्नुसार अंकित करेंगे अथवा महत्वपूर्ण गवाहों से शपथपत्र के रूप में उनके कथन देने का अनुरोध करेंगे तथा सहमत होने की स्थिति में तद्नुसार उनके शपथपत्र प्राप्त कर उसकी प्रतिलिपि संबंधित गवाह को देंगे;

(ङ) आवेदक को स्वयं तथा आवेदक के माता–पिता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देंगे तथा उनके द्वारा निर्दिष्ट किये गये गवाहों के कथन स्वयं अंकित करेंगे अथवा उनका शपथपत्र प्राप्त करेंगे;

(च) परीक्षण के दौरान यदि यह पाया जाता है कि आवेदक के द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रयोजन से दस्तावेजों में कोई कूट रचना की गई है, तो दस्तावेज के संबंधित पृष्ठों की छायाप्रति प्राप्त करने के पश्चात् स्थानीय पुलिस की सहायता से दस्तावेज जप्त कर एवं उसकी पावती एवं छायाप्रति दस्तावेज संधारित करने वाले प्राधिकारी को देंगे तथा दस्तावेज सीलबंद कर सतर्कता प्रकोष्ठ के उप पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे;

(छ) जांच–पड़ताल पूर्ण होने के उपरांत, समस्त जॉच दस्तावेजों के साथ अपना प्रतिवेदन उप पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे।

(4) उप पुलिस अधीक्षक, छानबीन समिति की आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के उपरांत, जप्त दस्तावेज फोरेंसिक जॉच तथा हस्त लिपि विषेषज्ञ को समुचित टीप के साथ प्रेषित करेगा।

(5) उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक से प्राप्त समस्त दस्तावेजों एवं फोरेंसिक तथा हस्तलिपि विशेषज्ञ से प्राप्त निष्कर्षों के साथ आवेदक की सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत छानबीन समिति को प्रस्तुत करेगा।

(6) छानबीन समिति, ऐसे प्रतिवेदन का परीक्षण करेगी तथा यदि वह प्रतिवेदन में कोई कमी पाती है, तो पुनः ऐसी कमी को इंगित कर सतर्कता प्रकोष्ठ को प्रतिवेदन लौटा कर विनिर्दिष्ट बिन्दुओं पर जॉच करने हेतु निर्देशित करेगी.

(7) पुलिस निरीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक उपरोक्त उल्लिखित अनुसार प्रकरणों की जॉच--पड़ताल का विवरण प्ररूप--5ज के अनुसार संधारित करेंगे।

21. सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रतिवेदन पर कार्यवाही.– (1) यदि सतर्कता प्रकोष्ठ के जांच प्रतिवेदन में आवेदक की सामाजिक प्रास्थिति संबंधी दावा न्यायसंगत और उचित प्रतिवेदित है, तो छानबीन समिति को उस पर किसी अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी और वह तद्नुसार संबंधित, यथास्थिति, सत्यापन समिति अथवा राज्य शासन एवं आवेदक को अवगत करायेगी।

(2) यदि प्रकरण राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो राज्य शासन के स्तर पर प्रकरण नस्तीबद्ध कर उसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी तथा यदि प्रकरण सत्यापन समिति के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो सत्यापन समिति नियम 17 में उपबंधित रीति में सत्यापन करने के उपरांत मूल एवं सत्यापित प्रमाणपत्र, यथास्थिति, आवेदक अथवा अनावेदक को प्रेषित करेगी।

22. उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा जांच.– (1) जहाँ छानबीन समिति, आवेदक के सामाजिक प्रास्थिति के दावे से सतकर्ता प्रकोष्ठ के जॉच प्रतिवेदन के अनुसार संतुष्ट नहीं है, तो समिति पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदक को विहित प्ररूप–6ख में सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रतिवेदन के साथ कारण बताओ नोटिस देगी तथा ऐसे नोटिस की प्रतिलिपि अनावेदक को भी, (यदि कोई हो तो), दी जायेगी।

(2) आवेदक का उत्तर प्राप्त होने के पश्चात्, छानबीन समिति एक बैठक आहूत करेगी, जिसमें वह आवेदक को उसके मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करेगी तथा आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जायेगा।

(3) छानबीन समिति, सुनवाई से संबंधित आम सूचना भी जारी करेगी, जिसका प्रचार प्रसार गांव में डोंडी पिटवाकर, ईश्तहार या अन्य सुविधाजनक साधनों के माध्यम से किया जायेगा, ताकि कोई व्यक्ति या संस्था आवेदक के दावे का समर्थन या विरोध कर सके तथा ऐसे व्यक्ति या संस्था को भी यदि कोई हो तो सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(4) आवेदक को स्वयं या उसके अभिभावक को (नाबालिग आवेदक की स्थिति में) सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, छानबीन समिति ऐसी जॉच कर सकेगी, जिससे वह दावे तथा अन्य आपत्तियों पर विचार कर सके।

(5) छानबीन समिति तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार को तामीली हेतु नोटिस अथवा समंस भेजेगी, जो प्ररूप–6ग में निर्देशित रीति अनुसार नोटिस की तामिल करेगा।

23. छानबीन समिति का निर्णय एवं तत्पश्चात् कार्यवाही.– (1) दावे पर पक्ष एवं विपक्ष दोनों की सुनवाई के उपरांत, आवेदक के दावे की सत्यता के संबंध में छानबीन समिति की संतुष्टि होने पर वह सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु, यदि ऐसा आवेदित है, तो संबंधित सत्यापन समिति को निर्देशित करेगी।

(2) आवेदक के सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के उसके दावे के संबंध में सुनवाई के पश्चात् यदि छानबीन समिति, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आवेदक का दावा वास्तविक नहीं है, तो वह कारण सहित आदेश पारित कर सकेगी तथा प्रमाणपत्र को निरस्त कर सकेगी।

(3) छानबीन समिति उप–नियम (2) के अन्तर्गत आदेश पारित करते समय अधिनियम की धारा 10 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत शिकायत प्रस्तुत करने हेतु नियोजक, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकारी, केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन के एक अधिकारी को प्राधिकृत करेगी तथा आगामी कार्यवाही के लिए प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रतियॉ ऐसे अधिकारी को अग्रेषित करेगी।

(4) छानबीन समिति इस नियम के उप–नियम (2) के अन्तर्गत आदेश पारित करते समय संबंधित कलेक्टर को जॉच करने हेतु यह निर्देशित करेगी, कि क्या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ऐसा मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जानबूझ कर जारी किया गया है अथवा इस बात की जानकारी रखते हुए जारी किया गया है कि ऐसा प्रमाणपत्र असत्य है अथवा क्या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है तथा कलेक्टर 3 माह के अंदर अपना प्रतिवेदन राज्य शासन को अग्रेषित करेगा।

(5) छानबीन समिति मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण का आदेश पारित करने के पश्चात् उसे समपहृत करेगी तथा उसका विवरण प्ररूप–5झ में विहित किये गये अनुसार पंजी में अंकित करेगी तथा ऐसे प्रमाणपत्र पर "निरस्त एवं समपहृत" मुद्रित किया जायेगा।

(6) छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश की प्रतियॉ अनावेदक, यदि कोई हो, तथा आवेदक को पंजीकृत डाक के द्वारा ऐसे आदेश पारित होने के तत्काल उपरांत प्रेषित की जायेंगी। यदि आवेदक अथवा कोई अन्य व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हो कर आदेश की प्रति की मॉग करता है, तो उचित शुल्क के भुगतान पर उस व्यक्ति को प्रदान कर दी जायेंगी।

24. मिथ्या प्रमाण पत्र धारक के विरूद्ध कार्यवाही– (1) यथास्थिति, लोक नियोजक, शैक्षणिक संस्थान अथवा संवैधानिक निकाय, राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन, का अधिकारी, जो छानबीन समिति के द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, छानबीन समिति के द्वारा पारित निर्णय की अभिप्रमाणित प्रति के आधार पर उक्त मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र धारक के विरूद्ध, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधि. सं. 2) की धारा 154 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायेगा।

25. मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारीकर्ता सक्षम प्राधिकारी एवं दुष्प्रेरक के विरूद्ध कार्यवाही.– संबंधित जिले का कलेक्टर मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारीकर्ता सक्षम प्राधिकारी एवं अपराध के दुष्प्रेरक के विरूद्ध लिखित शिकायत दर्ज करायेगा।

अध्याय—पॉच

विविध

26. प्रमाण पत्र तथा सत्यापन प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति जारी किए जाने हेतु प्रक्रिया.— जः आवेदक से संबंधित मूल प्रमाणपत्र अथवा सत्यापन प्रमाणपत्र खो गया हो या चोरी हो गया हो २ बाढ़, भूकंप इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गया हो, तो निवेदन पर राज्य शा । द्वारा यथा निर्धारित शुल्क प्राप्त करने के पश्चात्, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी अथवा सत्यापन समिति, ऐसे कार्यालय में रखे गये मूल दस्तावेजों के आधार पर उसकी द्वितीय प्रति जारी कर सकेंगे। ऐसे प्रमाणपत्र अथवा सत्यापन प्रमाणपत्र पर "द्वितीय प्रति" का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

27. प्रमाण पत्र जारी करने, सत्यापित करने अथवा निरस्त करने की सूचना.— (1) स प्राधिकारी, सत्यापन समिति तथा छानबीन समिति, यथास्थिति, प्रमाणपत्र जारी करने, सत्यापित करने थवा निरस्त करने के संबंध में प्रत्येक माह की 5 तारीख के पूर्व कार्यालय के सूचना पटल पर जान ारी प्रदर्शित करेगी तथा उसकी सूचना स्थानीय स्वायत्त संस्थानों एवं निकायों, नगर निगमों, नगर लिका, ग्राम पंचायत इत्यादि को उनके रिकार्ड के लिए तथा जिला सूचना केन्द्रों के माध्यम से निधा त वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु भी भेजेगी।

(2) सक्षम प्राधिकारी प्रमाणपत्र जारी करने तथा आवेदनों को निरस्त करने की जानका प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक विहित प्ररूप—7क में राज्य शासन को भी प्रेषित करेगी।

(3) सत्यापन समिति प्रमाणपत्रों के सत्यापन करने, आवेदनों के निरस्त करने, छानबीन समिति को प्रकरणों को अग्रेषित करने की जानकारी प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक विहित प्ररूप—7ख में ाज्य शासन को प्रेषित करेगी।

(4) छानबीन समिति, राज्य शासन तथा सत्यापन समितियों के द्वारा निर्दिष्ट शिकायतों र जॉच एवं प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण संबंधी जानकारी प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक विहित प्ररूप—7ग में ाज्य शासन को प्रेषित करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव,

प्ररूप 1क

[नियम 3 (1) देखिये]

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र हेतु आवेदन–पत्र

प्रति,

सक्षम प्राधिकारी,

उपखण्ड ...... जिला ....

महोदय,

निवेदन है कि मुझे/मेरे पुत्र/मेरी पुत्री को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को उपलब्ध सुविधाओं का लाभ पाने के क्रम में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता है। इस संबंध में निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत है, अर्थात् :–

1 आवेदक का पूरा नाम : ....

2 आवेदक के पिता का नाम : ....

3 आवेदक की वैवाहिक स्थिति : विवाहित/अविवाहित

4 पति का नाम (महिला आवेदक के मामले में) : ....

5 आवेदक की जन्म तिथि : ....

6 जाति (केवल अनुसूचित जाति आवेदक के ~ ~) : ....

7 वर्तमान पूरा पता : मोहल्ला/वार्ड ....
ग्राम/कस्बा/शहर ....
वि.खं .... तहसील ......
जिला ....
राज्य ....

स्थाई पता : मोहल्ला/वार्ड ....
ग्राम/कस्बा/शहर ....
वि.खं .... तहसील ......
जिला ....
राज्य ....

9. आवेदक की जन्म तिथि – : मोहल्ला/वार्ड ....

(क) यदि अनु. जाति के लिए 10/08/1950 तथा अनु. जन जाति के लिए 06/09/1950 के पूर्व की है; ग्राम/कस्बा/शहर ....

(ख) यदि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26/12/1984 के पूर्व की है; तों वि.खं ....

आवेदक का जन्म स्थान अथवा यदि इस तिथि के बाद है तहसील .....

तो उसके पिता/पूर्वज के निवास स्थान का स्थाई पता जिला .... राज्य ....

10	उल्लिखित तिथि को उपर्युक्त पते पर निवास करने वाले परिवार का मुखिया	:	नाम .... आवेदक के साथ संबंध ....
11	आवेदक/उसके पिता/पूर्वज 10/08/1950 (अनु. जाति के सदर्भ में) 06/09/1950 (अनु. जन जाति के संदर्भ में) एवं 26/12/1984 (अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में) से वर्तमान तिथि तक किन–किन स्थानों पर रहा/रहे है उसका विवरण	:	....
12	आवेदक की जाति/जनजाति (उपजाति सहित)	:	....
13	क्या मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के लिए यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 26/12/1984 के द्वारा वह राज्य/जिले के लिए विहित (निर्धारित) है? यदि हॉ, तो उराका सरल कमांक	:	....
14	निम्नांकित अभिलेख की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें :		संलग्न अभिलेखों का विवरण
	(1) आवेदक के पिता/पूर्वजों का निम्नांकित अभिलेख जिसमें उनकी जाति उल्लिखित (अंकित) हो :–		
	(क) पूर्वजों के राजस्व दस्तावेज (मिसल);	:	....
	(ख) जमाबंदी (सर्वे) या गिरदावरी बी 1;	:	....
	(ग) राज्य बंदोबस्त,अथवा	:	....
	(घ) अधिकार अभिलेख (1954); अथवा	:	....
	(ड.) वन विभाग की जमाबंद (सर्वे)/वन अधिकारपत्र; अथवा		
	(च) शैक्षणिक संस्था के दाखिल खारिज पंजी; अथवा	:	....
	(छ) जन्म या मृत्यु पंजी; अथवा	:	....
	(ज) नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (1949); अथवा	:	....
	(झ) पिता, पूर्वज अथवा संबंधी को पूर्व में जारी जाति प्रमाण–पत्र की प्रति; अथवा	:	....
	(ञ) जनगणना 1931,	:	....
	(2) ऐसे मूल निवास प्रमाण–पत्र अथवा कोई अन्य अभिलेख जिससे प्रमाणित हो सके कि आवेदक के पूर्वज 10/08/1950 (अनुसूचित जाति), 06/09/1950 (अनुसूचित जनजाति) या 26/12/1984 (अन्य पिछड़ा वर्ग) के तिथि से पूर्व छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा के मूल निवासी थे;	:	....

(3)	पूर्वजों से प्रारंभ कर जाति प्रमाण–पत्र धारक तक पटवारी से प्रदत्त वंशावली।	:	हॉ / नहीं
(4)	आवेदक के पिता यदि राज्य सरकार के कर्मचारी हैं / थे तथा अनु.जा. / अनु.ज.जा. / अ.पि.व.के संबंध में दिनांक 10 / 08 / 1950, 06 / 09 / 1950, 26 / 12 / 1984 के पूर्व वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र के निवासी थे और राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित हुआ है / था, संबंधी दस्तावेज।	:	हॉ / नहीं
(5)	यदि आवेदक अ.पि.व. से संबंधित हो और उसके पिता / माता शासकीय कर्मचारी है तो उनके पद एवं आय के अभिलेख की पुष्टि एवं आय प्रमाण–पत्र अथवा पूर्व वित्तीय वर्ष के फार्म 16 की प्रति	:	हॉ / नहीं
(6)	आवेदक का पूर्ण एवं स्पष्ट पता लिखा हुआ लिफाफा जिसमें पर्याप्त डाक टिकट लगी हो । (प्रमाण–पत्र के मामले में डाक के माध्यम से वांछित है)	:	हॉ / नहीं
(7)	आवेदक का शपथ पत्र (प्रारूप 2 क के अनुसार)	:	हॉ / नहीं

मै शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि आवेदन में दी गई जानकारी मेरे विश्वास अनुसार सत्य एवं सही है.

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

प्ररूप 1 ख

[नियम 15 (1) देखिये]

कार्यालय ....

स.क. ....

दिनांक ....

प्रति,

अध्यक्ष,
जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति
जिला .... छत्तीसगढ़

विषय : श्री / श्रीमती / कु0 ....आत्मज / आत्मजा / पति. ....निवासी...की समाजिक प्रास्थिति सत्यापन के संबंध में।

संदर्भ : सक्षम प्राधिकारी, जिला ....द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र क्रमांक ...., दिनांक ....।

महोदय,

श्री / श्रीमती / कु0 ....आत्मज / आत्मजा / पति. ....निवासी... की, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र क्र. .... दिनांक .... के आधार पर इस संस्थान / स्थानीय प्राधिकारी / विभाग में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षित पदों / सीट के विरूद्ध नियुक्ति / प्रवेश / चयन किया गया था।

2. यह शिकायत प्राप्त होने पर कि, प्रमाणपत्र त्रुटिपूर्वक या कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है, एतद्द्वारा, निर्णय किया गया है कि जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा उपरोक्त प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाये ।

3. श्री / श्रीमती / कु0 ....के प्रमाणपत्र की मूल / सत्यापित प्रति संलग्न है। कृपया विहित रीति एवं समय में उपरोक्त प्रमाण पत्र का सत्यापन करे तथा निष्कर्ष का प्रतिवेदन इस कार्यालय को दे ।

4. यदि समिति प्रथमदृष्ट्या यह पाती है कि उपरोक्त सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र त्रुटिपूर्वक या कपटपूर्वक अभिप्राप्त किया गया था, तो कृपया सूचित करें ताकि संबंधित आवेदक को उसके दावे के समर्थन में आपके समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जा सके ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र की मूल / सत्यापित प्रति)

हस्ताक्षर
नाम एवं मोहर

प्ररूप–1ग
[नियम 16 (3 एवं 4) देखिये]

जिला स्तरीय सामाजिक प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के समक्ष आवेदन पत्र

प्रति,

अध्यक्ष
जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति,
....

विषय : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण–पत्र के सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता .... पिता/पति का नाम .... पद .... विभाग .... एतद्द्वारा, श्री/श्रीमती/कुमारी .... (आवेदक का नाम) पिता/पति का नाम .... का वर्तमान सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र (मूल/छायाप्रति) सत्यापन हेतु सत्यापन समिति/अनावेदक .... (लोक नियोजक/शैक्षणिक संस्था/संवैधानिक निकाय/राज्य शासन/केन्द्र शासन) के दिशा–निर्देश अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... के दावे की पुष्टि के लिए निम्नांकित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ :–

1	आवेदक का नाम एवं उपनाम	:	....
2	आवेदक के पिता का नाम एवं उपनाम	:	....
3	आवेदक के पिता के पिता (दादा) का नाम एवं उपनाम	:	....
4	आवेदक की माता का नाम एवं उपनाम	:	....
5	आवेदक की माता के पिता (नाना) का नाम एवं उपनाम :	:	....
6	आवेदक यदि महिला है, तो उसके पति का नाम एवं उपनाम	:	....
7	आवेदक की जन्म तिथि	:	....
8	निवास स्थान :–	:	....

स. क्र.	निवास स्थान	मोहल्ला / वार्ड क्रमांक	ग्राम / कस्बा / शहर	तहसील	जिला एवं राज्य	निवास करने की तिथि अथवा वर्ष
1	आवेदक का वर्तमान निवास स्थान					
2	आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य में निवास स्थान					
3	यदि आवेदक की जन्म तिथि 10 / 08 / 1950 (अनु. जाति) / 06 / 09 / 1950 (अनु. जन जाति) / 26 / 12 / 1984 (अ0 पि0 व0) को या उससे पूर्व की है, तो ऐसी तिथि पर आवेदक का स्थायी निवास स्थान					
	यदि आवेदक की जन्म तिथि 10 / 08 / 1950 (अनु. जाति) / 06 / 09 / 1950 (अनु. जन जाति) / 26 / 12 / 1984 (अ0 पि0 व0) के बाद की है, तो ऐसी तिथि पर आवेदक के पिता / पूर्वज का स्थायी निवास स्थान					
4.	आवेदक के पिता का छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र में निवास स्थान					
5.	आवेदक के दादा का स्थायी निवास स्थान					

9.शैक्षणिक जानकारी :

स. क	आवेदक की शैक्षणिक जानकारी	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	महाविद्यालयीन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शिक्षा का वर्ष				
2.	संस्थान का नाम				
3.	ग्राम / कस्बा / शहर				
4.	विकास खण्ड / तहसील				
5.	जिला / राज्य				

स. क	आवेदक के पिता की शैक्षणिक जानकारी	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	महाविद्यालयीन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शिक्षा का वर्ष				
2.	संस्थान का नाम				
3.	ग्राम / कस्बा / शहर				
4.	विकास खण्ड / तहसील				
5.	जिला / राज्य				

स. क	आवेदक की माता की शैक्षणिक जानकारी	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	महाविद्यालयीन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शिक्षा का वर्ष				
2.	संस्थान का नाम				
3.	ग्राम/कस्बा/शहर				
4	विकास खण्ड/तहसील				
5.	जिला/राज्य				

स. क.	आवेदक के पिता के पिता की शैक्षणिक जानकारी	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	महाविद्यालयीन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शिक्षा का वर्ष				
2.	संस्थान का नाम				
3.	ग्राम/कस्बा/शहर				
4.	विकास खण्ड/तहसील				
5.	जिला/राज्य				

10 संपत्ति संबंधी जानकारी :

स. क.	अचल संपत्ति/कृषि भूमि/ भवन/दुकान/अन्य	रकबा	प.ह.न.	रा.नि.म.	तहसील/ जिला	संपत्ति कय/ प्राप्त करने का वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आवेदक के पिता के नाम पर					
2.	आवेदक के दादा (पिता के पिता) के नाम पर					
3.	आवेदक के नाना (माता के पिता) के नाम पर					

11 जाति संबंधी जानकारी :

स. क.	संबंधी	जति	उपजाति	गोत्र	गोत्र चिन्ह	वंश (टोटम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आवेदक के पिता की					

2.	**आवेदक के नाना (माता के पिता) की**					
3.	**आवेदक यदि महिला है तो उसके पति की**					

12 व्यवसाय संबंधी जानकारी :

स. क्र	संबंधी	परम्परागत व्ययवसाय	वर्तमान (कार्यरत) व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आवेदक का व्यवसाय		
2	आवेदक के पिता का व्यवसाय		
3.	आवेदक के दादा (पिता के पिता) का व्यवसाय		
4.	आवेदक के नाना (माता के पिता) का व्यवसाय		
5.	आवेदक के पति/पत्नी का व्यवसाय		

13 आवेदक की मातृभाषा : ....

14 यदि आवेदक की जाति की अलग बोली है, तो बोली का नाम : ....

15 यदि आवेदक की जाति के कुल देवी/कुल देवता हैं, तो कुल देवी/कुल देवता का नाम : ....

16 आवेदक की जाति के प्रमुख देवी/देवता का नाम : ....

17 आवेदक की जाति के लोक नृत्यों का नाम : ....

18 आवेदक की जाति के लोक गीतों का नाम : ....

19 आवेदक की जाति के प्रमुख त्योहारों का नाम : ....

20 आवेदक की जाति में पिता की बहन के लड़के/लड़की के साथ क्या वैवाहिक संबंध होता है : ....

21 आवेदक की जाति में माता के भाई(मामा) के लड़के/लड़कीं के साथ क्या वैवाहिक संबंध होता है : ....

22 आवेदक की जाति में क्या वधु मूल्य प्रथा प्रचलित है : ....

23 आवेदक की जाति में क्या दहेज प्रथा प्रचलित है : ....

24 आवेदक की जाति/गोत्र के साथ जिन जातियों/गोत्र का वैवाहिक संबंध होता है, उनके नाम : ....

25 आवेदक की जाति से जिन जातियों का रोटी (खान–पान) संबंध है, उन जातियों का नाम : ....

26 आवेदक की जाति की समकक्ष जातियों का नाम : ....

27 आवेदक का धर्म : ....

28 आवेदक के पिता का धर्म : ....

29. आवेदक के संबंधियों (रिश्तेदारों) का विवरण

स.क.	विवरण	पिता के भाई (चाचा)	माता के भाई (मामा)	माता की बहन का पति (मौसा)	पिता की बहन का पति (फूफा)	पत्नी का पिता (ससुर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	नाम					
2.	जाति					
3.	उपजाति					
4.	गोत्र					
5.	व्यवसाय					
6.	निवास के ग्राम / शहर					
7.	तहसील					
8.	जिला					

30. संलग्न दस्तावेज :

(1) आवेदक के पिता / पूर्वजों का निम्नांकित अभिलेख जिसमें उनकी जाति अंकित हो :– ....

क पूर्वजों के मिसल अभिलेख (केरा फाईल) ....

ख जमाबंदी (सर्वे) गिरदावरी बी 1 : ....

ग राज्य बंदोबस्त; अथवा : ....

घ अधिकार अभिलेख (1954); अथवा : ....

ड वन विभाग की जमाबंद / वन अधिकारपत्र; अथवा : ....

च शैक्षणिक संस्था के दाखिल खारिज पंजी; अथवा : ....

छ जन्म या मृत्यु पंजी; अथवा : ....

ज नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (1949); अथवा : ....

	झ	पिता, पूर्वज अथवा संबंधी को पूर्व में जारी जाति प्रमाण–पत्र की प्रति ; अथवा :	....
	ञ	जनगणना 1931. :	....
2		मूल निवास प्रमाण–पत्र अथवा अन्य कोई भी अभिलेख जिससे प्रमाणित हो सके कि आवेदक के पूर्वज दिनांक 10/08/1950 (अनु.जा.), 06/09/1950 (अनु.ज.जा.) अथवा 26/12/1984 (अ.पि.व.) के पूर्व से छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा के मूल निवासी थे। :	हॉ/नहीं
3		पूर्वजों से प्रारंभ कर जाति प्रमाण–पत्र धारक तक पटवारी से प्रदत्त वंशावली। :	हॉ/नहीं
4		आवेदक के पिता यदि राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के कर्मचारी हैं/थे तथा अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. के संबंध में दिनांक 10/08/1950, 06/09/1950, 26/12/1984 के पूर्व वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र के निवासी थे और राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित हुआ है/था, संबंधी दस्तावेज। :	हॉ/नहीं
5		यदि आवेदक अ.पि.व. से संबंधित है तथा उसके पिता/माता शासकीय कर्मचारी है तो उनके पद एवं आय की पुष्टि से संबंधित अभिलेख एवं आय प्रमाण–पत्र अथवा पूर्व वित्तीय वर्ष के फार्म 16 की प्रति :	हॉ/नहीं
6		आवेदक का पूर्ण एवं स्पष्ट पता लिखा हुआ लिफाफा जिसमें पर्याप्त डाक टिकट लगी हो. (प्रमाण–पत्र के मामले में डाक के माध्यम से वांछित है) :	हॉ/नहीं
7		आवेदक का शपथ पत्र (प्रारूप 2 अ के अनुसार) :	हॉ/नहीं

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ, कि इस आवेदन में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही है।

स्थान :

दिनांक :

भवदीय

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्ररूप 2 क

[नियम 3(3) (क) देखियें]

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु शपथ पत्र

छायाचित्र
आवेदक के हस्ताक्षर

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/आत्मजा .... उम्र .... वर्ष, व्यवसाय .... निवासी .... तहसील .... जिला .... राज्य .... एतद्द्वारा शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ कि :–

1 मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्ररूप दो (क) के अधीन विहित अनुसार सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया गया है जिसके समर्थन में यह शपथ पत्र एतद्द्वारा प्रस्तुत है.

2 मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विहित प्ररूप अनुसार आवेदन पत्र के साथ .... दस्तावेजों की नकल संलग्न की गई है. उक्त वर्णित दस्तावेज मेरे द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से विधि पूर्वक प्राप्त किये गये हैं तथा मेरे द्वारा या मेरे किसी शुभचिंतक द्वारा उक्त दस्तावेज या उसके मूल दस्तावेज में अनाधिकृत रूप से कोई संशोधन/विलोपन/परिवर्धन नहीं किया गया है तथा मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी में उक्त दस्तावेज/दस्तावेजों को किसी विद्वेषपूर्ण आशय से गढ़ा नहीं गया है ।

3 मेरे द्वारा जिन रिश्तेदारों के वैधता प्रमाणपत्र इस आवेदन के साथ संलग्न किया गया है उनके साथ संबंध दर्शाने वाला वंशवृक्ष संलग्न है।

4 मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विहित प्रपत्र में प्रस्तुत आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है तथा उक्त जानकारी असत्य पाए जाने पर, मेरे विरूद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 के अनुसार कार्यवाही की जावे.

हस्ताक्षर ....

आवेदक का नाम

सत्यापन

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी .... **आत्मज / आत्मजा** .... सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कण्डिका 1 से 4 में उल्लिखित लेख मेरे **सर्वोत्तम ज्ञान** एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो–हवास में सत्यापित करता / करती हूँ

हस्ताक्षर ....
आवेदक का नाम ....

प्ररूप 2ख
[नियम 15 (1) देखिये]

आरक्षित पद अथवा सीट पर नियुक्त, प्रवेशित, निर्वाचित, नामांकित, मनोनित व्यक्ति द्वारा शपथपत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... आ./आत्मजा .... उम्र ...... वर्ष ...... व्यवसाय .... निवासी .... तहसील .... जिला ...... राज्य .... निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ कि :

(1) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद/सीट/लाभ/सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(2) मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/नामांकन/मनोनयन आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन की गई है।

(3) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी..........................(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(4) मेरे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र विहित अधिकारी तथा विहित प्रकिया से जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण–पत्र जारी करने के कम में मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।

(5) उक्त वर्णित प्रमाण पत्र के संबंध में, कि प्रमाणपत्र कपट पूर्वक अथवा गलत तरीके से प्राप्त करने के संबंध में शिकायत प्राप्त होनें की स्थिति में तथा यदि उक्त आधार पर या अन्यथा, स्वप्रेरणा से जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में कोई जॉच करती है अथवा जॉच हेतु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति को संदर्भित करती है तथा उक्त समिति या समितियों के द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में की गई जॉच उपरांत एवं पारित निर्णय एवं आदेश कि प्रमाण पत्र गलत तरीके अथवा कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है, यथा स्थिति, मेरी नियुक्ति/प्रवेश/चुनाव/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा, अनावेदक (संबंधित लोक नियोजक/शैक्षणिक संस्थान/संवैधानिक निकाय/राज्य शासन/केंद्र शासन)............ तत्काल प्रभाव से निरस्त/समाप्त/अपवर्जित की जा सकेगी, तथा मैं ऐसी नियुक्ति/ प्रवेश/चुनाव/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु दायित्वाधीन रहूंगा तथा उक्त राशि मुझसे भू–राजस्व के बकाया की भॉति वसूल की जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मैं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की कंडिका 8 से 13 में विहित कार्यवाही के लिए भी उत्तरदायी रहूंगा।

हस्ताक्षर ....

सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/आत्मजा .... सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कण्डिका 1 से 5 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता हूँ

हस्ताक्षर ....

आवेदक का नाम ....

प्ररूप 2ग
[नियम 16(3 और 4) देखिये]

जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु शपथ पत्र

छायाचित्र
आवेदक के हस्ताक्षर

मैं, ... आत्मज/आत्मजा/पति .... उम्र ..... वर्ष व्यवसाय .... निवासी .... ग्राम .... तहसील .... जिला .... राज्य .... एतद्द्वारा शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि :

1 मेरे द्वारा जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के समक्ष सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु विहित प्ररूप में आवेदन किया गया है तथा मेरे दावे के समर्थन में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

2 मेरे द्वारा जिला स्तरीय सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के समक्ष सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु विहित प्ररूप के अनुसार मेरे आवेदन पत्र के साथ नियम 3 के उपनियम (3) द्वारा वांछित दस्तावेजों की नकल संलग्न की गई है। उक्त दस्तावेज मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी/प्राधिकारियों से विधिपूर्वक प्राप्त किए गए हैं तथा मेरे द्वारा या मेरे किसी शुभचिंतक द्वारा इनमें कोई संशोधन/परिवर्तन/शुद्धि नहीं की गई है, तथा मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास में ऐसे दस्तावेज/दस्तावेजों में कोई कूटरचना नहीं की गई है।

3 मेरे द्वारा जिन रिश्तेदारों का वैध जाति प्रमाणपत्र इस आवेदन के साथ संलग्न किया गया है, उनके साथ संबंध दर्शाने वाला वंशवृक्ष संलग्न है।

4 मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ, कि सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु जिला स्तरीय सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के समक्ष विहित प्ररूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है, तथा उक्त जानकारी असत्य पाए जाने पर मेरे विरुद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी ।

स्थान : हस्ताक्षर ....
दिनाँक :

सत्यापन

मैं .... आ0/आत्मजा/पति .... सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कण्डिका 1 से 4 की विषयवस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं, जिसे मैं आज .... दिनाँक ....को ....छत्तीसगढ़ में सत्यापित एवं हस्ताक्षरित करता हूँ।

हस्ताक्षर ....

प्ररूप 3 क
(नियम 5 देखिये)

सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय
मंडल.............जिला............छत्तीसगढ़

आवक क्रमांक................ दिनांक ....

आवेदन पत्र की अभिस्वीकृति (पावती)

(इस ज्ञापन की मूल प्रति आवेदक को प्रदत्त की जावे तथा उसका प्रतिपर्ण कार्यालय में संधारित किया जावे)

आज दिनांक ....को श्री/श्रीमती/कुमारी .... आ0/आत्मजा/पत्नी .... उम्र .... वर्ष, व्यवसाय .... निवासी .... तहसील .... जिला .... राज्य .... से सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज मूल/अभिप्रमाणित प्रति में प्राप्त हुए है :–

(1) आवेदक अथवा आवेदक के पिता/पूर्वजों का निम्नांकित दस्तावेज, जिसमें उसकी जाति अंकित है

(एक) पूर्वजों के राजस्व दस्तावेज (मिसल) ;
(दो) जमाबंदी (सर्वेक्षण) गिरदावरी;
(तीन) राज्य बंदोबस्त;
(चार) अधिकार अभिलेख (1954);
(पांच) जनगणना (1931);
(छः) वन विभाग की जमाबंदी;
(सात) नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (1949);
(आठ) जन्म या मृत्यु की पंजी;
(नौ) पिता अथवा पूर्वज के शिक्षित होने की स्थिति में, प्रवेश (दाखिल/खारिज) पंजी
(दस) पिता, पूर्वज अथवा संबंधी (नातेदार) को पूर्व में जारी जाति प्रमाण प्रमाण–पत्र की प्रति
(ग्यारह) अन्य दस्तावेज़ जिससे आवेदक के द्वारा दावा की गई जाति होना प्रमाणित होता है
(बारह) ....

(2) ऐसे दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की सम्यक रूप से अभिप्रमाणित प्रतिलिपि अथवा प्रतिलिपियॉं जिससे यह प्रमाणित हो सके के आवेदक के पूर्वज राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिसूचना तिथि के पूर्व से छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में निवास करते थे।

(3) पूर्वजों से प्रारंभ कर आवेदक तक पटवारी से प्रदत्त वंशावली।

(4) आवेदक अथवा उसके पिता अथवा उसके वैध पालक का शपथ पत्र प्ररूप 2क के अनुसार (मूल प्रति में)।

(5) दस्तावेज जिनसे दर्शित हो कि आवेदक के पिता राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी हैं तथा राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अधिसूचना तिथि को अथवा उसके पूर्व से वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र के निवासी थे और राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित हुआ है।

(6) अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आवेदक के पिता का आय प्रमाण–पत्र <u>अथवा</u> पूर्व वित्तीय वर्ष के फार्म 16 की अभिप्रमाणित प्रति।

(7) आवेदक का पूर्ण एवं स्पष्ट पता लिखा हुआ लिफाफा जिसमें यथेष्ट डाक टिकट लगी हो।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

प्ररूप 3 ख

[नियम 6(2)]

सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय

आवेदन पत्र के वापसी का ज्ञापन (वापसी ज्ञापन)

(इस ज्ञापन की मूल प्रति आवेदक को प्रदत्त की जावे तथा उसका प्रतिपर्ण कार्यालय में संधारित किया जावे)

कमांक .... दिनांक ....

श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / आत्मजा .... निवासी .... द्वारा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में निम्नांकित अभिलेखों के अभाव है। अतः आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि निम्नांकित अभिलेख जिनमें सही ( ) का निशान अंकित किया गया है आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने पर उसके सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी:–

(1) आवेदक अथवा आवेदक के पिता / पूर्वजों का निम्नांकित दस्तावेज, जिसमें उसकी जाति अंकित है

(एक) पूर्वजों के राजस्व दस्तावेज (मिसल) ;
(दो) जमाबंदी (सर्वेक्षण) गिरदावरी;
(तीन) राज्य बंदोबरत;
(चार) अधिकार अभिलेख (1954);
(पांच) जनगणना (1931);
(छः) वन विभाग की जमाबंदी;
(सात) नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (1949);
(आठ) जन्म या मृत्यु की पंजी;
(नौ) पिता अथवा पूर्वज के शिक्षित होने की स्थिति में, प्रवेश (दाखिल / खारिज) पंजी
(दस) पिता, पूर्वज अथवा संबंधी (नातेदार) को पूर्व में जारी जाति प्रमाण प्रमाण–पत्र की प्रति
(ग्यारह) अन्य दस्तावेज जिससे आवेदक के द्वारा दावा की गई जाति होना प्रमाणित होता है
(बारह) ....

(2) ऐसे दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की सम्यक रूप से अभिप्रमाणित प्रतिलिपि अथवा प्रतिलिपियॉं जिससे यह प्रमाणित हो सके के आवेदक के पूर्वज राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिसूचना तिथि के पूर्व से छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में निवास करते थे।

(3) पूर्वजों से प्रारंभ कर आवेदक तक पटवारी से प्रदत्त वंशावली।

(4) आवेदक अथवा उसके पिता अथवा उसके वैध पालक का शपथ पत्र प्ररूप 2क के अनुसार (मूल प्रति में)।

(5) दस्तावेज जिनसे दर्शित हो कि आवेदक के पिता राज्य सरकार के अधिकारी / कर्मचारी हैं तथा राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अधिसूचना तिथि को अथवा उसके पूर्व से वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र के निवासी थे और राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित हुआ है।

(6) अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आवेदक के पिता का पूर्व वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण–पत्र अथवा फार्म 16 की अभिप्रमाणित प्रति।

(7) आवेदक का पूर्ण एवं स्पष्ट पता लिखा हुआ लिफाफा जिसमें यथेष्ट डाक टिकट लगी हो।

आवेदक के हस्ताक्षर प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 3 ग
[नियम 6 देखिये]

असमर्थता ज्ञापन
(यह प्ररूप 2ख के पृष्ठ भाग में मुद्रित किया जावे)

प्रति,

सक्षम प्राधिकारी
उपखण्ड ....जिला ....

छायाचित्र
आवेदक के हस्ताक्षर

विषय : अनुसूचित जनजाति के सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने में असमर्थता बाबत।

महोदय,

मैं .... (आवेदक का नाम) आत्मज/आत्मजा .... पद .... निवासी .... शपथपूर्व कथन करता/करती हूँ कि सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु दिनांक ....को आवेदन किया/की हूँ, जिसकी पावती क्रमांक .... है परंतु मैं अपनी जाति के दावे की पुष्टि में वांछित साक्ष्य अभिलेख जिनका कि उल्लेख नियम 3 के उप–नियम (3) में किया गया है, उपलब्ध कराने में मैं असमर्थ हूँ क्योंकि :

(1) मेरे पिता अथवा पूर्वजों अथवा पिता के रक्त संबंधियों में से कोई भी शिक्षित नहीं है/नहीं था;

(2) मेरे पिता अथवा पूर्वजों अथवा पिता के रक्त संबंधियों में से किसी के भी पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है/थी तथा अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है;

(3) नियम 3 में दर्शित वांछित लोक अभिलेखों में से किसी में भी मेरे पिता अथवा पूर्वजों के संबंध में कोई उल्लेख/प्रविष्टि नही है;

(4) मेरे पास ऐसा कोई भी अन्य अभिलेख नहीं है जो मैं साक्ष्य हेतु प्रस्तुत कर सकूँ;

अतः मेरा निवेदन है कि मेरी सामाजिक प्रास्थिति के सबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के आधार पर नियम 8 के अधीन जॉचं करवा कर मुझे सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने का कष्ट करें। मैं जॉच प्राधिकारी को जॉच के समय उनके द्वारा वांछित जानकारी प्रदान करूगां तथा उनके द्वारा नियत तिथि को स्वयं उपस्थित रहूँगा तथा जॉच हेतु अपने पक्ष के समर्थन में वांछित व्यक्तियों को उपस्थित कराने हेतु पूरा सहयोग प्रदान करूंगा।

हस्ताक्षर ....

सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/आत्मजा .... सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त ज्ञापन की कण्डिका 1 से 4 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता हूँ/करती हूँ।

हस्ताक्षर ....
आवेदक का नाम ....

प्ररूप 3 घ
[नियम 16(2) देखिये]

कार्यालय जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति

जिला............छत्तीसगढ़

आवक क्रमांक................ दिनांक ....

आवेदन पत्र की पावती

(इस ज्ञापन की मूल प्रति आवेदक को प्रदत्त की जावे तथा उसका प्रतिपर्ण कार्यालय में संधारित किया जावे)

आज दिनांक .... को श्री/श्रीमती/कुमारी ....
आत्मज/आत्मजा .... उम्र .... वर्ष .... व्यवसाय ....
निवासी .... तहसील .... जिला .... राज्य ....
से सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र सत्यापित करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित अभिलेख मूल/अभिप्रमाणित प्रति में प्राप्त हुए है :–

(1) आवेदक अथवा आवेदक के पिता/पूर्वजों का निम्नांकित दस्तावेज, जिसमें उसकी जाति अंकित है

(एक) पूर्वजों के राजस्व दस्तावेज (मिसल) ;
(दो) जमाबंदी (सर्वेक्षण) गिरदावरी;
(तीन) राज्य बंदोबस्त;
(चार) अधिकार अभिलेख (1954);
(पांच) जनगणना (1931);
(छः) वन विभाग की जमाबंदी;
(सात) नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (1949);
(आठ) जन्म या मृत्यु की पंजी;
(नौ) पिता अथवा पूर्वज के शिक्षित होने की स्थिति में, प्रवेश (दाखिल/खारिज) पंजी
(दस) पिता, पूर्वज अथवा संबंधी (नातेदार) को पूर्व में जारी जाति प्रमाण प्रमाण–पत्र की प्रति
(ग्यारह) अन्य दस्तावेज जिससे आवेदक के द्वारा दावा की गई जाति होना प्रमाणित होता है
(बारह) ....

(2) ऐसे दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की सम्यक रूप से अभिप्रमाणित प्रतिलिपि अथवा प्रतिलिपियॉं जिससे यह प्रमाणित हो सके के आवेदक के पूर्वज राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिसूचना तिथि के पूर्व से छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में निवास करते थे।

(3) पूर्वजों से प्रारंभ कर आवेदक तक पटवारी से प्रदत्त वंशावली।

(4) आवेदक अथवा उसके पिता अथवा उसके वैध पालक का शपथ पत्र प्ररूप 2क के अनुसार (मूल प्रति में)।

(5) दस्तावेज जिनसे दर्शित हो कि आवेदक के पिता राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी हैं तथा राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अधिसूचना तिथि को अथवा उसके पूर्व से वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र के निवासी थे और राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित हुआ है।

(6) अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आवेदक के पिता का पूर्व वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण–पत्र अथवा फार्म 16 की अभिप्रमाणित प्रति।

(7) आवेदक का पूर्ण एवं स्पष्ट पता लिखा हुआ लिफाफा जिसमें यथेष्ट डाक टिकट लगी हो।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा।

788 (28)

प्ररूप 4 क (1)
(नियम 9 देखिये)

सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय
मंडल..............जिला.......... ..छत्तीसगढ़

पुस्तक कमांक ....
सरल क्रमांक.................

दिनांक ....

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र
(अनुसूचित जाति के लिए)
(हल्के नीले (आसमानी) रंग के कागज में)

एतद्द्वारा, प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/आत्मजा श्री.. निवास ग्राम ....तहसील......................जिला ....छत्तीसगढ़..........................जाति का/की सदस्य है और संविधान के अनुच्छेद 341 के अध्यधीन इस जाति को छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 19 की तृतीय अनुसूची कें अनुकमांक ....पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति श्री... अनुसूचित जाति का/की है।

2– यह प्रमाण–पत्र इन उपबंधों के अधीन जारी किया गया है कि यदि जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति अथवा उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के द्वारा अपनी जॉच/निरीक्षण में आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ....के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति का दावा असत्य अथवा कपटपूर्ण पाया जाता है तो यह प्रमाण–पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम/पदमुद्रा

प्ररूप 4 क (2)
(नियम 9 देखिये)

सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय
उपखण्ड.............जिला............छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक ....

सरल क्रमांक................ दिनांक ....

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र
(अनुसूचित जनजाति के लिए)

(हल्के गुलाबी रंग के कागज में)

एतद्द्वारा, प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/आत्मजा श्री.. निवास ग्राम ....तहसील....................जिला ....छत्तीसगढ़........................जनजाति का/की सदस्य है और संविधान के अनुच्छेद 342 के अध्यधीन इस जाति को छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 20 की तृतीय अनुसूची के अनुक्रमांक ....पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति श्री.. अनुसूचित जनजाति का/की है।

2– यह प्रमाण–पत्र इन उपबंधों के अधीन जारी किया गया है कि यदि जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति अथवा उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के द्वारा अपनी जॉच/निरीक्षण में आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ....के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति का दावा असत्य अथवा कपटपूर्ण पाया जाता है तो यह प्रमाण–पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम/पद्मुद्रा

प्ररूप 4 क (3)
(नियम 9 देखिये)

सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय
मंडल............जिला............छत्तीसगढ़

पुस्तक कमांक ....
सरल क्रमांक................ दिनांक ....

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र
(अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए)
(हल्के पीले रंग के कागज में)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....आत्मज/आत्मजा श्री.......................................निवास ग्राम ....तहसील...............................जिला ....छत्तीसगढ़.........................जाति का/की सदस्य है। इस जाति को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समय–समय पर पश्चातवर्ती अधिसूचनाओं के द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना कमांक एफ–8–5/25/4/84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिमान्य किया गया है तथा यह जाति छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अनुकमांक ....पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी .... पिता/पति श्री..अन्य पिछड़ा वर्ग का/की है।

2– यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....कीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र संख्या 36012/22/93/स्था (एस.सी.टी.) दिनांक 8–9–93 यथा संशोधित परिपत्र संख्या 36033/3/2004–स्था (आरक्षण) दिनांक 14–10–2008 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–9–3/2001/1–3 दिनांक 24–6–2009 के कालम 3 में किया गया है

3– यह प्रमाण–पत्र इन उपबंधों के अधीन जारी किया गया है कि यदि जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति अथवा उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के द्वारा अपनी जॉच/निरीक्षण में आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ....के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति का दावा असत्य अथवा कपटपूर्ण पाया जाता है तो यह प्रमाण–पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम/पदमुद्रा

प्ररूप 4 ख
(नियम 10 देखिए)

सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय

पुस्तक क्रमांक ....
सरल क्रमांक................ दिनांक ....

अस्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र
(सफेद रंग के कागज में)
(केवल प्राथमिक/माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति/अन्य प्रयोजनों की स्वीकृति हेतु मान्य)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....आत्मज/आत्मजा श्री... निवास ग्राम ....तहसील...................................जिला ....के द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के अनुसार वह ....जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में सम्मिलित नहीं) का/की सदस्य है और संविधान के अनुच्छेद 341/342/राज्य शासन की अधिसूचना द्वारा इस जाति को छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति/जनजाति मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 19 के अंतर्गत अनुसूची 3/उक्त अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अनुसूची 4/राज्य शासन की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचो में अनुक्रमांक .... पर अंकित है और श्री/श्रीमती/कुमारी ....के पिता/पति का नाम ....अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का/की है।

2– प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए ....है।

3– यह प्रमाण–पत्र केवल भारत सरकार/राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त की जाने वाली छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति को प्राप्त करने के तात्कालिक प्रयोजन के लिए जारी किया गया है और इस प्रमाण–पत्र की वैधता जारी दिनांक से केवल 6 माह अथवा स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी होने तक, जो भी पहले हो, के लिए है

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

पदमुद्रा(सील)

प्ररूप 4 ग

(नियम 11 देखिए)

सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय
मंडल.............जिला............छत्तीसगढ़

पुस्तक कमांक ....
सरल कमांक..... ....

दिनांक ....

SOCIAL CASTE CERTIFICATE (MIGRANT)

This is to Certify that Shri/Shrimati/Kumari ------------------------------- ---------Son/Daughter of --------------- ------------------------------- of Village/Town -----------------------------------in------------- ------------------------District/Division ------------------- -------------------of the State/Union Teritory ---- ---------------------- belongs to the ----------------------------Caste/Tribe wihch is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe Under :-

1. The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
2. The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
3. The Constitution (Scheduled Castes)(Union Teritories) Order, 1950
4. The Constitution (Scheduled Castes)(Union Teritories) Order, 1951 As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 the Bombay Reorganisation Act, 1960 the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (Amendment) Act, 1976.
5. The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956
6. The Constitution (Andman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976
7. The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962
8. The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962
9. The Constitution (Pondichery) Scheduled Castes Order, 1964
10. The Constitution Scheduled Tribes (Uttar Pradesh) Order, 1967
11. The Constitution (Goa, Daman And Diu) Scheduled Castes Order, 1968
12. The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970
13. The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978
15. The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978

*This Certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribe Certificate issued to Shri/Shrimati/Kumari --Son/Daughter of -------------------- --------------------------- of Village/Town ---------------------------------- in--- District/Division --of the State/Union Teritory ------------------------- who belong to the ------------------------------Caste/Tribe wihch is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Teritory --------------------------------issued by the ------------ ---------------(name of prescribed authority) vide their no .... dated .... and the holder on the certificate is not entitled to any concession/ facilities extended to Scheduled Caste/ Scheduled Tribes by the Government of Chhattisgarh.

** Shri/Shrimati/Kumari ---------------------------- and or his/her family ordinary reside(s) om village/ town ------------------------- of -------------------------- District/ Division of the State of Chhattisgarh.

Signature
Designation
(With seal of Officer)

*Applicable to Migrants only
**Not applicable to Migrants

प्ररूप 4 घ (1)
[नियम 17 (1) देखिये]

क्रमांक .... दिनांक ....

सत्यापन प्रमाण–पत्र
(अनुसूचित जाति के लिए)
(हल्के नीले (आसमानी) रंग के कागज में)

श्री / श्रीमती / कुमारी ....आत्मज / आत्मजा श्री.. निवासी ....तहसील.....................जिला ....छत्तीसगढ़ को सक्षम प्राधिकारी .... द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र क्रमांक ....दिनांक .... छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के नियम 3 के उपनियम (3) में यथा अपेक्षित दस्तावेज .... (दस्तावेज का विवरण) के प्रकाश में तथा इस समिति के द्वारा की गई जॉच एवं संतुष्टि के उपरांत सत्यापित किया जाता है।

श्री / श्रीमती / कुमारी .... आ0 / पति ....निवासी..........................ग्राम .... तहसील .. .. जिला .... (छत्तीसगढ़) की जाति / जनजाति ....संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जाति है जो मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 19 की तृतीय अनुसूची के अनुक्रमांक ....में अंकित है।

अन्वेषण अधिकारी जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला ....छत्तीसगढ़	जाँचकर्ता अधिकारी / सदस्य जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला ....छत्तीसगढ़	अध्यक्ष जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला ....छत्तीसगढ़

प्ररूप 4 घ (2)

[नियम 17 (1) देखिये]

क्रमांक .... दिनांक ....

सत्यापन प्रमाण–पत्र

(अनुसूचित जनजाति के लिए)

(हल्के गुलाबी रंग के कागज में)

श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / आत्मजा श्री .... निवासी .... तहसील .... जिला .... छत्तीसगढ़ को सक्षम प्राधिकारी .... द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र क्रमांक .... दिनांक .... छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के नियम 3 के उपनियम (3) में यथा अपेक्षित दस्तावेज .... (दस्तावेज का विवरण) के प्रकाश में तथा इस समिति के द्वारा की गई जॉच एवं संतुष्टि के उपरांत सत्यापित किया जाता है।

श्री / श्रीमती / कुमारी .... आ0 / पति .... निवासी .... ग्राम .... तहसील .... जिला .... (छत्तीसगढ़) की जनजाति .... संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जन जाति है जो मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 20 की तृतीय अनुसूची के अनुक्रमांक ....में अंकित है।

अन्वेषण अधिकारी जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला ....छत्तीसगढ़	जाँचकर्ता अधिकारी / सदस्य जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला ....छत्तीसगढ़	अध्यक्ष जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला ....छत्तीसगढ़

प्ररूप 4 घ (3)

(नियम 17 (1) देखियें)

क्रमांक .... दिनांक ....

सत्यापन प्रमाण–पत्र
(अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए)

(हल्के पीले रंग के कागज में)

श्री / श्रीमती / कुमारी ....आत्मज / आत्मजा श्री.. निवासी ....
..................तहसील..................जिला ....छत्तीसगढ़ को सक्षम प्राधिकारी ....
द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र कमांक ....दिनांक .... छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के नियम 3 के उपनियम (3) में यथा अपेक्षित दस्तावेज .... (दस्तावेज का विवरण) के प्रकाश में तथा इस समिति के द्वारा की गई जॉच एवं संतुष्टि के उपरांत सत्यापित किया जाता है।

2– श्री / श्रीमती / कुमारी .... आ0 / पति ....निवासी..........................ग्राम .... तहसील .... जिला .... (छत्तीसगढ़) की जाति / जनजाति .... पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समय–समय पर पश्चातवर्ती अधिसूचनाओ के द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना कमांक एफ–8–5/25/4/84 दिनांक 28 दिसम्बर, 1984, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिमान्य किया गया है तथा यह जाति छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अनुक्रमांक ....पर अंकित है।

3– सत्यापित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी .... के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए .... है।

अन्वेषण अधिकारी जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला ....छत्तीसगढ़	जांचकर्ता अधिकारी / सदस्य जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला ....छत्तीसगढ़	अध्यक्ष जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला ....छत्तीसगढ़

प्ररूप 5 क
(नियम 4 देखिये)

सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्र के पंजीकरण **हेतु पंजी का प्ररूप**

क	प्रकरण क्रमांक	आवेदन प्राप्ति दिनांक	आवेदक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता	**जाति जिसका दावा किया गया है**	**जाति प्रमाण–पत्र जारी दिनांक**
1	2	3	4	5	6	**7**	**8**

प्ररूप 5 ख
(नियम 10 देखिये)

सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र हेतु **प्राप्त आवेदन पत्र के पंजीयन** एवं अग्रेषण हेतु पंजी का प्ररूप

क	प्रकरण क्रमांक	आवेदन प्राप्ति दिनांक	आवेदक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता	जाति जिसका दावा किया गया है	**अस्थायी प्रमाण–पत्र जारी दिनांक**	**स्थाई प्रमाण** पत्र **हेतु सक्षम पाधिकारी** को **अग्रेषण** दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	**8**	**9**

प्ररूप 5 ग
(नियम 13 देखिये)

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र अभिलेख के पंजीयन हेतु **पंजी का प्ररूप**

क.	प्रकरण क्रमांक, पुस्तक क्रमांक और प्रमाण–पत्र क्रमांक	प्रमाण–पत्र जारी करने का दिनांक	आवेदक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता	किस जाति का प्रमाण–पत्र जारी किया गया है	**संलग्न दस्तावेजों** का विवरण	जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप 5 घ
(नियम 16 देखिये)

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के पंजीयन हेतु पंजी का प्ररूप

क्र	प्रकरण क्रमांक	आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख	अनावेदक का नाम एवं विवरण	आवेदक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता	प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप 5 ङ.
[नियम 17 (2) देखिये]

सत्यापन प्रमाणपत्र के लिए दस्तावेजों का पंजीयन हेतु प्ररूप

क्र.	प्रकरण क्रमांक, पुस्तक क्रमांक और प्रमाणपत्र क्रमांक	प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक	आवेदक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता	किस जाति का प्रमाण–पत्र जारी किया गया है	संलग्न दस्तावेजों का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप 5 च
[नियम 18 (2) देखिये]

जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति के द्वारा अग्रिम जॉच हेतु छानबीन समिति को अग्रेषित आवेदन पत्र के वेवरण के लिए पंजीयन हेतु प्ररूप

स.क्र.	प्रकरण क्रमांक	आवेदक का नाम/पित का नाम तथा पता, जिसका सामाजिक प्रातिस्थति प्रमाण जॉच एवं छानबीन हेतु छानबीन समिति को अग्रेषित किया गया है	उक्त प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी का नाम एवं पता	अग्रेषित सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक	छानबीन समिति का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्ररूप 5 छ
(नियम 19 देखियें)

छानबीन समिति द्वारा प्रकरण के पंजीयन हेतु प्ररूप

क	प्रकरण क्रमांक	आवेदन प्राप्त होने का दिनांक	आवेदक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता	सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने का दिनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

प्ररूप 5 ज
[नियम 20 (7) देखिये]

पुलिस निरीक्षकों (सतर्कता प्रकोष्ठ) के द्वारा छानबीन समिति से प्राप्त प्रकरणों की जॉच–पड़ताल का विवरण
(प्रत्येक प्रकरण के लिए पंजी के पृथक पृष्ठ का उपयोग किया जावे)

क.	प्रकरण क्रमांक/आवेदक जिसके प्रमाण पत्र की जॉच की जानी है, का नाम/पिता का नाम/वर्तमान पता	शिकायतकर्ता, यदि कोई हो का नाम/पिता का नाम/वर्तमान पता	प्रकरण प्राप्त होने का दिनांक	पुलिस निरीक्षक/निरीक्षकों के नाम जिसे जॉच सौपी गई है	जॉच हेतु प्रकरण सौपे जाने का दिनांक	पुलिस निरीक्षक/निरीक्षकों के द्वारा जॉच हेतु भ्रमण पर जाने की तारीखों एवं स्थान का विवरण	पुलिस निरीक्षक के द्वारा जॉच के दौरान जिन व्यक्तियों से पूछताछ–बयान–शपथपत्र लिए गए हैं, उनके नाम, पिता का नाम पता, पद एवं अन्य विवरण एवं उक्त कार्यवाही की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8

पुलिस निरीक्षक के द्वारा जॉच के दौरान आवेदक, उसके माता–पिता, संबंधी तथा अन्य जिन जानने वालों से पूछताछ–बयान–शपथपत्र लिए गए हैं,उनके नाम, पिता का नाम पता, एवं अन्य विवरण एवं उक्त कार्यवाहियों की तारीखें	पुलिस निरीक्षक के द्वारा जॉच के दौरान परीक्षण किए गए लोक दस्तावेजों एवं प्रायवेट दस्तावेजों का विवरण	पुलिस निरीक्षक के द्वारा जॉच के दौरान जप्त किए गए लोक दस्तावेजों का विवरण	उप पुलिस अधीक्षक के द्वारा फोरेसिंक तथा हस्तलिपि विशेषज्ञ को प्रेषित दस्तावेजों का विवरण एवं प्रेषण दिनांक	फोरेसिंक तथा हस्तलिपि प्रतिवेदन प्राप्त होने का दिनांक	पुलिस निरीक्षक के द्वारा उप पुलिस अधीक्षक को जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक	उप पुलिस अधीक्षक के द्वारा जॉच प्रतिवेदन समिति को प्रेषित किए जाने का दिनांक
9	10	11	12	13	14	15

प्रारूप 5 झ
[नियम 23 (5) देखिये]

छानबीन समिति द्वारा प्रमाण पत्र के निरस्त एवं समपहृत करने संबंधी पंजीयन हेतु पंजी का प्ररूप

क्र.	प्रकरण क्रमांक	आवेदक का नाम/ पिता का नाम /पता जिसका जाति प्रमाण पत्र निरस्त एवं समपहृत किया गया है	सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी का नाम एवं पता	सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र को निरस्त एवं समपहृत करने का क्रमांक व दिनांक	छानबीन समिति का आदेश क्रमांक / दिनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

प्ररूप 6 क
[नियम 20 (1) देखियें]

उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति का कार्यालय

सरल क्रमांक .... दिनांक ....
....

प्रति,
उप पुलिस अधीक्षक
सतर्कता प्रकोष्ठ
(सामाजिक प्रास्थिति की जॉच एवं छानबीन)
रायपुर

विषय : श्री /श्रीमती/कु...आ./पति .... निवासी ....के सामाजिक प्रास्थिति की जॉच एवं छानबीन बाबत।

संदर्भ : जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति ..../छत्तीसगढ़ शासन, ... (प्रशासकीय विभाग का नाम) का पत्र क्रमांक ....दिनांक ....

जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति ..../छत्तीसगढ़ शासन, ... (प्रशासकीय विभाग का नाम) के पत्र क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा श्री /श्रीमती/कु0...................................आ0/पति ....निवासी ....के सामाजिक प्रास्थिति की जॉच एवं छानबीन हेतु प्रेषित प्रकरण क्रमांक .... आपकी ओर संलग्न प्रेषित है। यथानिर्देशित छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के नियम 20 के प्रावधानों के अधीन आपसे अनुरोध है कि स्वयं या अपने अधीनस्थ पुलिस निरीक्षक अथवा पुलिस निरीक्षकों से उक्त **प्रकरण की** जॉच करे तथा स्पष्ट अभिमत सहित, समस्त मूल दस्तावेज गवाहों के कथन एवं शपथपत्र **के साथ** प्रतिवेदन समिति को यथाशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

2— आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त जॉच के विवरण आप प्रकोष्ठ में उक्त नियम के प्ररूप 5ज के अनुसार पंजी में संधारित करें तथा उसकी एक प्रति इस समिति को भी भेजे।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

सदस्य सचिव अथवा उपाध्यक्ष
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति

पृ. क्रमांक .... दिनांक....................
... प्रतिलिपि,
1. सचिव/प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर ।
2. अध्यक्ष, जिला स्तरीय सत्यापन समिति जिला ..../सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ... (प्रशासकीय विभाग का नाम) महानदी भवन नया रायपुर ।

सदस्य सचिव अथवा उपाध्यक्ष
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति

प्ररूप 6 ख
[नियम 22(1) देखियें]

उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति

कमांक .... दिनांक ....

....

प्रति,

श्री / श्रीमती / कु0 ....
आ0 / पति ....
निवासी ....

कारण बताओ नोटिस

जिला स्तरीय सत्यापन समिति, जिला .... / छत्तीसगढ़ शासन, ... (प्रशासकीय विभाग का नाम) के पत्र कमांक .... दिनांक ....द्वारा आपका सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जॉच एवं छानबीन हेतु इस समिति को प्रस्तुत किया गया है, जिसकी जॉच उप पुलिस अधीक्षक, सतर्कता प्रकोष्ठ, (सामाजिक प्रास्थिति की जॉच एवं छानबीन समिति), रायपुर द्वारा की गई है। उप पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार दावा किया गया आपका सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र गलत तरीके एवं कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है।

2–अतः इस समिति के द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अध्यधीन छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के नियम 22 में यथानिर्धारित उप पुलिस अधीक्षक, सतर्कता प्रकोष्ठ, (सामाजिक प्रास्थिति की जॉच एवं छानबीन समिति), रायपुर के द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन के आधार पर आपके द्वारा दावा किये गये सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र की जॉच किए जाने का अंतिम निर्णय लिया गया है।

3–उप पुलिस अधीक्षक, सतर्कता प्रकोष्ठ, (सामाजिक प्रास्थिति की जॉच एवं छानबीन समिति), रायपुर के द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन तथा अनुषांगिक गवाहों एवं दस्तावेजों की प्रतियॉ संलग्न प्रेषित है। आपको निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें एवं बतावें कि :–

1. क्या आप प्रत्यक्ष सुनवाई चाहते हैं,
2. क्या आप एक मौखिक जॉच कराना चाहते हैं,
3. क्या आप अपनी सामाजिक प्रास्थिति की पुष्टि एवं समर्थन में कोई गवाह एवं दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं, यदि हॉ तो सूची प्रस्तुत करें।

4–आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में आपका स्पष्टीकरण निर्धारित समय में यदि इस समिति को प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जावेगा कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा तदनुसार आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

सदस्य सचिव या उपाध्यक्ष
उच्च स्तरीय **प्रमाणीकरण** छानबीन समिति

प्ररूप 6 ग
[नियम 22 (5) देखियें]

उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति का कार्यालय

सरल कमांक .... दिनांक ....
....

प्रति,

तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार

....

विषय : श्री /श्रीमती/कु...आ./पति .... निवासी .... के सामाजिक प्रास्थिति की जॉच एवं छानबीन के बारे में डोंडी पिटवाने के द्वारा लोक सूचना बाबत।

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अध्यधीन श्री/श्रीमती/कु...आ./पति........................ ....निवासी ....के सामाजिक प्रास्थिति की जॉच एवं छानबीन छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के नियम 22 में दर्शित अनुसार इस समिति के द्वारा की जा रही है।

2— श्री /श्रीमती/कु0...आ0/पति ....निवासी ....की उक्त जॉच के संबंध में उसके वर्तमान निवास स्थान, पूर्व के निवास स्थानों तथा स्थायी निवास स्थान के कोई व्यक्ति या संस्था आवेदक के दावे का समर्थन या विरोध करना चाहे तो वे कर सकते हैं।

3— अतः श्री/श्रीमती/कु0...आ0/पति .... निवासी ....की उक्त जॉच के परिप्रेक्ष्य में .... (ग्राम/मोहल्ले/क्षेत्र का नाम) में डोंडी पिटवा कर एवं लिखित सूचना चस्पा करवा कर यह आम सूचना प्रसारित करवाने का कष्ट करें कि क्षेत्र के निवासी तथा अन्य व्यक्ति जो श्री/श्रीमती/कु0....... ....की सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में जानकारी रखते हैं दिनांक .... को ....बजे (समय) ....(स्थान) में समिति के समक्ष उपस्थित हो कर अपना मौखिक कथन/शपथपत्र अथवा कोई अनुषांगिक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव अथवा उपाध्यक्ष
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति

प्ररूप 7 क
[नियम 27 (2) देखियें]

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी तथा आवेदन निरस्त करने के संबंध में प्रगति प्रतिवेदन

नाम जिला.................................. वर्ष 20..........

क्र	उपखण्ड का नाम	माह	माह के दौरान प्राप्त आवेदन पत्र की संख्या	विगत माहों के लंबित आवेदन पत्रों की संख्या	कुल आवेदन पत्रों की संख्या (3 + 4)	माह के दौरान जारी जाति प्रमाण पत्रों की संख्या	निरस्त आवेदन पत्रों की संख्या	जिला सत्यापन समिति को सत्यापन हेतु अग्रेषित जाति प्रमाण पत्रों की संख्या	माह के अंत में लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्ररूप 7 ख
[नियम 27 (3) देखियें]

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र सत्यापित करने, आवेदन निरस्त करने तथा छानबीन समिति को अंग्रेषित करने के संबध में प्रगति प्रतिवेदन

जिला का नाम .... वर्ष 20.......

क.	मह	अनुविभागीय अधिकारियों से प्राप्त आवेदन पत्रों/प्रमाण पत्रों की संख्या	अनावेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों/शिकायत पत्रों की संख्या	विगत माहों के लंबित आवेदन पत्रों की संख्या	कुल आवेदन पत्रों की संख्या (3 + 4)	माह के दौरान सत्यापित प्रमाण पत्रों की संख्या	निरस्त आवेदन पत्रों की संख्या	छानबीन समिति को अग्रेषित आवेदनों की संख्या	माह अंत में लंबित आवेदन पत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्ररूप 7 ग
[नियम 27 (4) देखियें]

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र तथा उनके संबंध में प्राप्त शिकायत पत्रों के निराकरण के संबंध में प्रगति प्रतिवेदन

जिला का नाम .... वर्ष 20.......

क.	माह	माह के दौरान राज्य शासन से प्राप्त प्रकरणों की संख्या	सत्यापन समितियों से प्राप्त प्रकरणों की संख्या	विगत माहों के लंबित प्रकरणों की संख्या	कुल प्रकरणों की संख्या (3 + 4)	माह के दौरान निराकृत प्रकरणों की संख्या	निरस्त प्रमाण पत्रों की संख्या	माह के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

नया रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 13–23/2012/आ. प्र./1–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13–23/2012/आ. प्र./1–3, दिनांक 2 सितम्बर, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव,

New Raipur, the 2nd September 2013

NOTIFICATION

No. F 13-23/2012/R.C./1-3.—In exercise of powers conferred by Section 19 of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Act, 2013 ((No. 13 of 2013), the State Government, hereby makes the following Rules, namely: -

RULES

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. **Short Title and Commencement.- (1)**These rules shall be called the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Rules, 2013.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Act**" means the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Act, 2013 (No. 13 of 2013);

(b) "**Applicant**" means a person, applying for Certificate in prescribed manner, verification of Certificate, a person whose Certificate is to be verified as decided by the District Level Certificates Verification Committee, or a person whose employer, educational institution, local authority, the Central Government or the State Government, as the case may be, has referred his Certificate to the District Level Certificate Verification Committee for verification;

(c) "**Application**" means an application under these rules;

(d) "**Certificate**" means a Social Status Certificate as defined under clause (o) of Section 2 and

issued under sub-section (1) of Section 4, of the Act:

(e) **"Date of Presidential Notification"** means with reference Scheduled Castes notification dated 10th of August, 1950 and with reference to Scheduled Tribes notification dated 6th of September, 1950;

(f) **"Migrants from other States"** means the person migrating in the geographical area of State of Chhattisgarh from other State or Union Territory after the Date of Presidential Notification or Notification Date of Other Backward Class or who has been born after the Date of Presidential Notification or the Notification Date relating to Other Backward Class, as the case may be:

Provided that his father or legal guardian must have migrated into the geographical area of State of Chhattisgarh after the Date of Presidential Notification or Notification Date relating to Other Backward Class, as the case may be;

(g) **"Non- Applicant"** means the employer or educational institution or local authority, the State Government or the Central Government, as the case maybe, which has referred the Certificate of Applicant to the verification committee for verification;

(h) **"Notification Date of Other Backward Classes"** means 26th of December, 1984;

(i) **"Notification of State Government regarding Other Backward Class"** means the order issued by the Governor or notified list of Other Backward Classes, in connection with State of Chhattisgarh, as amended from time to time;

(j) **"Prescribed"** means prescribed under these rules;

(k) **"Presidential Notification"** means order issued by the President under Article 341 and Article 342 of the Constitution of India with respect to the State of Chhattisgarh, and as amended by the Parliament from time to time;

(l) **"Provisional Social Status Certificate"** means a Social Status Certificate issued in **Form 4B** under Rule 10;

(m) **"Relative"** means related by blood from the side of applicant's paternal family;

(n) **"Resolution of the Gram Sabha"** means any declaration, conclusion, decision or a resolution of Gram Sabha of the village where applicant is domiciled, in connection to the social status of the applicant, so as to clear the social status of the applicant unambiguously;

(o) **"Scrutiny Committee "** means High Power Certification Scrutiny Committee constituted under sub-section (1) of Section 7 of the Act for scrutiny of Certificate;

(p) **"Verification Certificate"** means the certificate, issued by the District Level Certificates Verification Committee, validating the Certificate issued by the Competent Authority;

(q) **"Verification Committee" means** District Level Certificates Verification Committee constituted in a District under **sub-section (1)** of Section 6 of the Act for verification of Certificate issued to applicants.

(2) Words and Expression not defined in these rules shall have the same meanings as defined under the Act.

CHAPTER-II
ISSUING OF SOCIAL STATUS CERTIFICATE

3. **Application for issuance of Certificate.- (1)** The applicant in order to obtain Certificate on **permanent basis,** shall submit an application to the Competent Authority in **Form- 1A.**

(2) Applicant shall submit his application to the Competent Authority in person or through post or Choice Centre or a Common Service Centre.

(3) Applicant shall submit along with application following documents, namely:-

(a) An Affidavit in **Form-2A,** in original;

(b) Family tree of the applicant starting from last three generations, duly issued by the Halka Patwari;

(c) Document or self attested copy of the document verifying that his ancestors were residing in the geographical limits of the State of Chhattisgarh on or before the Date of Presidential Notification or Notification Date relating to Other Backward Class, as the case may be;

(d) In cases where applicant is an officer/employee allocated to Chhattisgarh State Cadre or their children, in compliance, of Section 67 of Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No.28 of 2000), principles laid down in Para (1) and (2) of the Notification dated 23/09/2007of State Reorganization Cell. Such document or duly attested copies of documents, verifying that-

(i) ancestors of the applicant were residing in the geographical limits of the then State of Madhya Pradesh before or on the Date of Presidential Notification or Notification Date relating to Other Backward Classes, as the case may be;

(ii) they have been allotted to Chhattisgarh State Cadre under Section 67 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No.28 of 2000).

(e) Any of the following document or self attested copy showing caste of the applicant's father or ancestor, namely:-

(I) Revenue document of ancestors (case file);

(II) Jama-Bandi (Survey) or Girdawari;

(III) State Settlement;

(IV) Document of Rights (1954);

(V) Census (1931);

(VI) Survey of Forest Department;

(VII) National Register of Citizens (1949);

(VIII) Register of Birth or Death;

(IX) Admission Register (Dakhil/Karij), in case father or ancestors were literate;

(X) Caste Certificate, issued earlier to Father, Ancestor or a relative;

(XI) Resolution passed by the Gram-Sabha regarding caste of the applicant where no documentary evidence in proof of caste is available;

(f) Income certificate of preceding year of applicant's father in case of Other Backward Class Applicant;

(g) Envelope having appropriate postage stamp and legible address.

(4) The applicant shall submit original certificates and documents, at the time of verification or whenever required, before the Competent Authority, District Level Certificate Verification Committee or Scrutiny Committee, as the case may be.

4. **Registration of Application.-** The Competent Authority on receipt of the application shall register the application in a register, prescribed in **Form 5A**

5. **Preliminary Inquiry of the Application, Receipt and Return Memo.- (1)** After registering application, the Competent Authority shall make a preliminary inquiry summarily, to ascertain whether the application is complete or not and whether document required under sub-rule (3) of Rule 3 are annexed or not. In case, the Competent Authority finds that the required document is annexed with the application, he shall, make available to the Applicant receipt prescribed in **Form-3A** and in case required documents are not annexed shall give to the Applicant a Return Memo in **Form-3B** within 7 days of the receipt of application.

(2) Counterfoil of the Receipt or Return Memo, as the case may be, shall be kept in the office of Competent Authority.

6. **Inability Memo.- (1)** An applicant belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, who has applied for obtaining Certificate, inspite of adequate efforts could not get the required document under sub-rule (3) of Rule 3, may give an affidavit about his inability to submit such document in prescribed **Form-3C**, printed on the back of Return Memo.

(2) On receipt of Inability Memo, the Competent Authority shall not demand for the required document or documents under sub-rule(3) of Rule 3 and shall proceed to inquire the claim of the applicant under Rule 8:

Provided that the applicant shall present himself during such inquiry before the Competent Authority or before the inquiry officer indicated by him and shall give all necessary

assistance to ensure the presence of related persons, so as to prove his claim of social status.

7. **Inquiry Officer.-** Competent Officer, within fifteen days from the date of receipt of such application shall either proceed to inquire himself or shall direct a subordinate Revenue Officer for Inquiry.

8 **Inquiry.- (1)** The Inquiry Officer, shall inquire about the residence, permanent address, revenue records, immovable property, occupation of applicant's family, name in voter list and other evidence, which are relevant to prove the permanent residence on the Date of Presidential Notification or Notification Date relating to Other Backward Classes, as the case may be, and shall verify the social status claimed by the Applicant.

(2) The Competent Authority may, apart from documents mentioned in sub-rule (3) of Rule 3, inquire into documents of local bodies, for example, of Gram Panchayat, Janpad Panchayat, Zila Panchayat, Nagar Panchayat, Municipality and Municipal Corporation also.

(3) Inquiry officer may also record oral statements, as evidence, of village Kotwar, village Sarpanch, Halka Patwari, local ward member, other public representatives of the area, gazetted officers residing in the locality, other local members of that caste already having Certificate and knowing the applicant properly.

(4) Inquiry officer, where he is not a Competent Officer, after inquiry shall furnish his written Report having clear outcome, along with documentary evidence and recorded oral statements to the Competent Authority, within fifteen days of receiving inquiry orders.

9 **Social Status Certificate-** The Competent Authority after receiving application under sub-rule (1) of Rule 3 and conducting an inquiry under Rule 8 and in case where himself is not an inquiry officer, after satisfying himself with the annexed documents and Report of the inquiry officer, within one month from the date of receipt of application, shall issue the certificate in **Form-4A(1)** to the Applicant of Scheduled Castes, in **Form- 4A(2)** to the Applicant of Scheduled Tribes and in **Form-4A(3)** to the applicant of Other Backward Classes.

10 **Provisional Certificate- (1)** For the purpose of granting admission to educational institutions upto tenth standard or for granting scholarship or stipend at such level or for such other purposes, where large numbers of Certificates are necessary and it is not feasible to issue such Certificate well in time, the Competent Authority, may issue a provisional certificate in **Form-4B** on the basis of affidavit given by the applicant in **Form-2A** within fifteen days from the date of application:

Provided that the Competent Authority shall maintain the details of provisional certificates issued in **Form-5B**.

(2) The provisional Certificate shall be valid only for a period of six months or till the date of issue of permanent Certificate, whichever is earlier.

11 **Certificate for the Applicant migrated from other State to the State of Chhattisgarh.-** In case, where the Applicant is a migrant from other States, Competent Officer shall issue a certificate in **Form-4C**, after making detailed inquiry, if necessary, through the District Magistrate or Verification Committee or through Vigilance Cell, regarding his social status in that State:

Provided that such certificate holder shall be eligible to avail the facilities provided to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes, as the case may be, in that State from which he has migrated.

12 **Involuntary Migration.-** Government employees of undivided Madhya Pradesh and such other officers and employees of Corporation, Commission, Board and Public Undertakings, who have been allocated to the State of Chhattisgarh due to division of cadres between State of Madhya Pradesh and State of Chhattisgarh under Madhya Pradesh Reorganization Act, 2000 (No.28 of 2000) such employee and his family members, if they belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes in the State of Chhattisgarh shall be deemed to have been migrated involuntary from the State of Madhya Pradesh to the State of Chhattisgarh and they shall be issued Certificate and shall be given benefits of reservation in the State of Chhattisgarh.

13 **Certificate, document register-** Details of Certificate issued by the Competent Authority shall be kept in Form-5C.

CHAPTER -III

VERIFICATION OF CERTIFICATE

14 **Constitution of District Level Certificates Verification Committee-** (1) the State Government shall constitute District Level Certificates Verification Committee having jurisdiction over one or more districts, for the verification of certificates issued by the Competent Authority, as under:-

(a) Additional Collector or Deputy Collector posted at District Headquarter nominated by Collector;	Chairman
(b) One Officer not below the rank of class II, belonging to Scheduled Tribe, nominated by Collector;	Member
(c) One Officer not below the rank of class II, belonging to Scheduled Caste, nominated by Collector;	Member
(d) One Officer not below the rank of class II, belonging to Other Backward Class, nominated by Collector;	Member
(e) A subject expert officer or Class III executive employee, nominated by Director, Tribal Research and Training Institute;	Member

(f) Assistant Comm.ssioner, Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development Department. — Member Secretary

(2) In case on the post of Subject Expert Officer or Class III executive employee, an appropriate officer or employee is not available for the Verification Committee then the Director, Tribal Research and Training Centre Institute, Raipur may appoint any retired officer or a Class III executive employee as member.

(3) For the nominated retired Subject Expert Officer or Class III executive employee in the Verification Committee, honorarium shall be determined by the State Government.

(4) Meetings of the Verification Committee, as required shall be held on a fixed day, every week:

But the meeting of the Committee may also be convened on the direction of Chairman with a short notice of one day.

15 **Verification of Certificate and reference to Verification Committee.- (1)** If the concerned public employer, educational institution or a statutory body the State Government or the Central Government, as the case may be, receives a complaint or raises a doubt that the person appointed, admitted, elected, formed or nominated has obtained Certificate wrongly or fraudulently then he/it shall ask such person to file an affidavit in **Form-2B** and shall refer the matter to the Verification Committee in Form-1B.

(2) Verification Committee shall verify about 10% of the total number of Certificates issued by the Competent Authority, as sample inquiry through random sampling method. The Applicant shall not be at liberty to seek information from the Verification Committee as to why his certificate has been selected for verification.

(3) Verification Committee may direct any Applicant to submit application in **Form-1C** along with affidavit in **Form-2C** and shall exhibit such document as required under sub-rule (3) of Rule 3, necessary to verify his social status.

(4) A Non-Applicant, instead of referring a certificate to the Verification Committee may also direct the Applicant to get his certificate verified by the Verification Committee. In such cases the Applicant shall submit his original certificate, an application in **Form-1C** along with affidavit in **Form-2C** and document as required under sub-rule (3) of Rule 3.

(5) In case of direction from Verification Committee under sub-rule (3) or direction from Non-Applicant under sub-rule 4 to verifying Certificate from the Verification Committee, the Applicant shall be bound to submit the application as mentioned above along with affidavit and documents as required under sub-rule (3) of Rule 3 within a period of not more than a month,

failing which the committee may decide ex-parte and Certificate of such Applicant shall be forwarded under Rule **18** to Scrutiny Committee:

Provided that where applicant satisfies the Verification Committee that application, affidavit and other documents could not be submitted within prescribed time limit of one month, due to adequate reasons, the Verification Committee may extend the time for the verification of certificate of the applicant.

16 **Registration of application by the Verification Committee.-** (1) Verification Committee shall register the applications for verification received from Applicant or Non-Applicant in a register as prescribed in the **Form-5D**.

(2) Verification Committee shall send receipt in **Form-3D** to the Applicant or Non-Applicant, as the case may be, within 7 days of the receipt of application.

17 **Verification of Certificate by Verification Committee.-(1)** The Verification Committee on being satisfied with the application and documentary evidence annexed therewith shall issue verification certificate in **Form-4D(1)** to Scheduled Castes, in **Form-4D(2)** to Scheduled Tribes and in **Form-4D(3)** to Other Backward Classes to the Applicant, his guardian or Non-Applicant, as the case may be, within a period of not more than one month:

Provided that if the Applicant, his guardian or Non-Applicant, as the case may be, requests to send the same by post, the committee may send the same by registered post.

(2) Verification Committee shall maintain details of the verified Certificates in **Form-5E**.

18 **Procedure where Verification Committee is not satisfied with the documentary evidence.- (1)** Where the Verification Committee is not satisfied with the documentary evidence annexed with Application, it may, within fifteen days from the date of receipt of application or within fifteen days of reference by Non-Applicant shall inform the Applicant or Non-Applicant, if any, stating the reasons of non-satisfaction thereby and shall give the Applicant, an opportunity to be heard:

Provided that the Verification Committee shall complete hearings in not more than three months and in case where the Committee is of opinion that the Certificate seems to have been obtained wrongly or fraudulently it shall forward the original certificate along with relevant documents and its findings to the Scrutiny Committee for inquiry under Rule 20 and shall also inform the Applicant and Non-Applicant, if any.

(2) Verification Committee shall maintain details of forwarded certificates to the Scrutiny Committee in **Form-5F**.

Chapter IV
Inquiry, Cancellation and Forfeiture of Certificates

19 Registration of the Cases by High Power Certification Scrutiny Committee.- (1) The Higher Power Certification Scrutiny Committee shall register the referred cases by Verification Committee or by the State Government or by the state Government in **Form-5G**.

20 Inquiry of the Case through Vigilance Cell. – (1) The Scrutiny Committee shall forward the Certificate and copies of all relevant documents in cases referred to it by Verification Committee or by the State Government or any other authority in **Form-6A** to the Vigilance Cell constituted under Deputy Superintendent of Police;

(2) The Deputy Superintendent of Police through subordinate Police Inspector shall inquire into the case and inform Scrutiny Committee accordingly;

(3) Police Inspector of Vigilance Cell shall –

(a) search places of local residence, domicile and general residence of Applicant or the city, town or village of his origin before migration;

(b) ascertain the truth regarding the Social Status as claimed by the Applicant or his parents or his Guardian, as the case may be, on the basis of public documents;

(c) verify the information stated in the application submitted to Verification Committee by the Applicant on the basis of relevant public documents and reliable private documents;

(d) obtain information from Village Kotwar, Village Sarpanch, Halka Patwari, Local Ward Member, Other Public Representatives, Local Gazetted Officers, such local members already having a Certificate and who are knowing well the Applicant and if any of them agrees to record his oral statement then he shall record his statement accordingly or shall request important witnesses to give their statement on oath and in case they agree, shall obtain the affidavit accordingly and give a copy of the same to the witness concerned;

(e) give an opportunity to the Applicant himself and parents of the Applicant and shall record the statement of witnesses indicated by them or shall obtain their affidavits;

(f) if during the examination it is found that the Applicant or any other person has maliciously forged the document, after getting the photocopy of the relevant pages, seize the document with the help of local police and shall seal and send the document to Deputy Superintendent of Police of Vigilance Cell and shall a receipt and copy of the sent, to the authorities having custody of the documents;

(g) submit his report along with all documents to the Deputy Superintendent of Police after completing the investigation.

(4) Deputy Superintendent of Police, after obtaining necess... ...mission of the Scrutiny Committee shall send the document seized by the Police Inspector ... forensic test and to handwriting expert along with appropriate noting.

(5) The Deputy Superintendent of Police shall submit the Inquiry Report containing his clear opinion regarding social status of the Applicant, along with docu... ...ts received from Police Inspector and conclusions of forensic and handwriting expert to the Scrutiny Committee.

(6) The Scrutiny Committee shall examine such report and in case it finds any deficiency in the report shall revert the same to the Vigilance Cell after indicating such deficiency and may direct for inquiry on specific issues.

(7) Police Inspector and Deputy Superintendent of Police shall maintain details of above mentioned investigation of the cases in **Form-5H.**

21 **Action on the Report of Vigilance Cell- (1)** If in the Inquiry Report of Vigilance Cell, claims **regarding social status of the Applicant has been reported as just and proper then there shall be no further action needed by the Scrutiny Committee and it shall intimate accordingly to the concerned verification Committee or the State Government, as the case may be, and to the Applicant.**

(2) If the matter is referred by the State Government, the case shall be filed/closed at the State **Government level with intimation to the Applicant** and if the matter has been referred by the **Verification Committee, then the Verification Committee** after due verification in the manner **provided under Rule 17** shall send the Original and Verified Certificate to the Applicant or Non-Applicant, as the case may be.

22 **Inquiry by High Power Certification Scrutiny Committee- (1)** Where the Scrutiny Committee is not satisfied with the social status claim of the Applicant, according to the inquiry Report of the Vigilance Cell the committee may through registered post shall issue a show-cause notice to Applicant in prescribed **Form-6B** along with report of the Vigilance Cell and the copy of such notice shall also be given to the Non-Applicant (if any) also.

(2) After on receiving the reply of the Applicant, the Scrutiny Committee shall convene a meeting wherein it shall direct the Applicant to produce his/her Certificate in original and Applicant shall be given adequate opportunity of hearing and producing evidence.

(3) The Scrutiny Committee shall also issue a public notice regarding the hearing, which shall be widely publicized in the village or announced by beat of drum, advertisement or through some other convenient means, so that any person or institution may support or oppose the applicant's claim and such person or institution shall also be accorded an opportunity of hearing and producing evidence, if any.

(4) After giving reasonable opportunity of hearing to the Applicant or to his guardian (in case the applicant is not an adult), Scrutiny Committee may conduct such inquiry, so as to consider the claim and other objections.

(5) Scrutiny Committee may send the notice or summons for service to the Tehsildar, Additional Tehsildar, Nayab Tehsildar, who shall serve the notice in the manner as directed in **Form-6C.**

23 **Decision of the Scrutiny Committee and proceedings thereafter.– (1)** After hearing both the sides in support and against the claim, the Scrutiny Committee on being satisfied with regarding the genuineness of the claim of the Applicant shall direct the concerned Verification Committee to issue a Verification Certificate, if applied so.

(2) If after hearing the Applicant regarding his claim of Social Status Certificate the Scrutiny Committee, comes to the conclusion that the claim of the Applicant is not genuine, it may pass a reasoned order and cancel the Certificate

(3) The Scrutiny Committee while passing order under sub-rule (2) shall authorise an officer of the employer, educational institution, local authority, the Central Government or the State Government to file complaint under sub-section (2) of section 10 of the Act and forward attested copies of all documents related to the case to such officer for further proceedings.

(4) The Scrutiny Committee while passing order under sub-rule (2) of this Rule shall issue instruction to the concerned Collector to investigate, whether the the Competent Authority knowingly or having knowledge that such certificate was false has issued such False Social Status Certificate or any other person has abetted such offence and the Collector shall forward his report to the State Government, within three months.

(5) The Scrutiny Committee after passing the order of cancellation of False Social Status Certificate shall confiscate it and details shall be entered in the register as prescribed in **Form-5I** and such Certificate shall be impressed as "Cancelled and Confiscated".

(6) Copies of the order passed by the Scrutiny Committee shall be sent to the Non-Applicant, if any, and to the Applicant by registered post immediately after passing such order. If the Applicant or any other person present in the office demands copy of the order, the same shall be supplied to the person on payment of appropriate fee.

24 **Action against false Certificate holder.-** The officer of the public employer, educational institution or a statutory body, the State Government or Central Government as the case may be, who is authorised by the Scrutiny Committee shall on the basis of the attested copy of the decision passed by the Scrutiny Committee, shall file a written complaint in the Police Station under sub-section (1) of Section 154 of Criminal Procedure Code, 1973 (Act no.2 of 1974) against the said False Social Status Certificate holder.

25 **Action against the abettor and Competent Authority issuing False Social Status Certificate.-** The Collector of the concerned district shall file written complaint against the Competent Authority issuing False Social Status Certificate and the abettor of the offence.

CHAPTER V
MISCELLANEOUS

26 **Procedure for issuing duplicate of Certificate and Verification Certificate-** Where an original certificate or verification certificate relating to an Applicant has been lost or stolen or destroyed due to natural calamities like floods, earthquake etc or on request and after depositing fee as prescribed by the State Government, Competent Authority or Verification Committee as the case may be, may issue the duplicate on the basis of original document kept in such office. There shall be a clear mention of "Duplicate Copy" on such Certificate or Verification Certificate.

27 **Notice regarding Issuance, Verification or Cancellation of Certificate- (1)** Competent Authority, Verification Committee and Scrutiny Committee, as the case may be, shall display the information regarding issuance, verification or cancellation of Certificate every month, before the Fifth day of the month on the office Notice Board and shall also send the information to local autonomous institutions and bodies, municipal corporation, municipality, village panchayat etc. for their records and shall also send the information through District Information Centres, in order to display it on ascertained website.

(2) Competent Authority shall also send the information regarding issue of certificate and cancellation of applications, every year by 31^{st} December to the State Government, in prescribed **Form-7A.**

(3) Verification Committee shall send the information regarding verification of certificates, cancellation of application, cases forwarded to Scrutiny Committee every year by 31^{st} December to the State Government, in prescribed **Form- 7B.**

(4) Scrutiny Committee shall send the information regarding inquiry on the complaints referred by the State Government and Verification Committees and cancellation of Certificate, every year by 31^{st} December to the State Government in prescribed **Form-7C.**

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

Form- 1A

(See Rule 3(1))

Application For Social Status Certificate

To,

Competent Authority,

Sub-Division................ District....................

Sir,

I beg to state that in order to avail facilities given to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes, I/ my son/daughter requires Certificate of Social Status. In this connection following information is being submitted, namely:-

1 Name of the Applicant

2 Father's Name of the Applicant

3 Applicant's marital status: Married/Unmarried

4 Name of the Husband (in case of female applicant)

5 Date of Birth of Applicant

6 Caste (For SC only)

7 Present Address in full: Mohalla/Ward

Village/Town/City.......................

Block................... Tehsil...................

District................

State.................

8 Permanent Address in full: Mohalla/Ward

Village/Town/City........................

Block................... Tehsil...................

District................

State.................

9 Applicant's Date of Birth:

(a) if before 10/08/50 for SC and 6/9/50 for ST; Mohalla/Ward................

(b) if before 26/12/84 for OBC Village/Town/City...........

then. place of birth of applicant; or if after these dates then Block....... Tehsil.........

permanent residential address of his Father/Ancestor District........ State.........

10 Head of the Family residing on the above-mentioned address on the above-mentioned date. Name....................

Relation with the Applicant.......................

11 Details of the places where the Applicant/his father/ancestors have stayed from 10/08/1950 (with respect to SC), 6/09/1950 (with respect to ST) and 26/12/1984 (with respect to OBC) till the present day

12 Applicant's Caste/ Tribe (including sub-caste)

13 Whether it is prescribed for the State or the District vide Notification dated 26/12/1984, as amended for OBC under Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000? If yes, its serial number

14 Attach attested copies of the following documents: Details of the attached documents

(1) Below-mentioned documents of Applicant's father/ancestors mentioning their caste:-

(a) Revenue document of ancestors (case file);

(b) Jama-Bandi (Survey) or Girdawari b1;

(c) State Settlement; OR

(d) Document of Rights (1954); OR

(e) Survey of Forest Department/Forest Rights Certificate; OR

(f) Admission Register of educational institution; OR

(g) Register of Birth or Death; OR

(h) National Register of Citizens (1949); OR

(i) Copy of Caste Certificate, issued earlier to Father, Ancestor or a relative; OR

(j) Census (1931).

(2) Such domicile certificate or any other document verifying that ancestors of the applicant were residing in the geographical limits of Chhattisgarh before the date 0/08/1950 (Scheduled Castes), 6/09/1950 (Scheduled Tribes) or 6/12/1984 (Other Backward Classes);

(3) Family Tree commencing from ancestors to Caste certificate holder as obtained by Patwari. Yes/No

(4) If applicant's father is/were an employee of State Government and in relation to SC/ST/OBC, before dated 10/08/1950, 06/09/1950, 26/12/1984 where resident of existing State of Madhya Pradesh and were allocated to the State of Chhattisgarh on State Reorganization, related documents Yes/No

(5)	If the applicant belongs to OBC and his father/mother is a government employee, document verifying their post and income certificate or copy of Form 16 of the preceding financial year.	Yes/No
(6)	Envelope having full and legible address of the Applicant bearing adequate postage stamps (in case the certificate is desired through post)	Yes/No
(7)	Affidavit of the Applicant (prescribed in Form 2A)	Yes/No

I hereby solemnly affirm that the information contained in the application is true and correct to the best of my knowledge and belief.

(Applicant's Signature)

Place:

Date:

Form-1B
[see Rule 15 (1)]

Office of the...

Sl No............. **Date..........**

To,

Chairman
District Level Certificates Verification Committee
District........................., Chhattisgarh.

Sub.: Verification of Social Status of Shri/Smt./Ku ...., S/o,/D/o,W/o, ..., resident of...................... - reg.

Ref.: Social Status Certificate No................, dated.........., issued by Competent Authority .... District.....................

Sir,

Shri/Smt./Ku ...., S/o,/D/o,W/o, ..., resident of ...., was appointed/admitted/elected/selected against posts/seat reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes in this institution/local authority/department on the basis of Social Status Certificate No................, dated.........., issued by Competent
Authority, ... District.....................

2. On the receiving a complaint that the Certificate has been wrongfully or fraudulently obtained, it is hereby decided to get the above Certificate verified by the District Level Certificates Verification Committee.

3. Original/Attested copy of the Certificate of Shri/Smt./Ku .... is enclosed herewith. Kindly verify the above Certificate in prescribed manner and time and report the findings to this office.

4. If Committee finds any prima-facie evidence, that the above Social Status Certificate was obtained wrongfully or fraudulently, kindly intimate, so that the concerned applicant may be directed to produce before you evidences in support of his claim.

Encl.: As above (Original/Attested copy of Social Status Certificate)

Signature
Name and Seal

Form- 1C

[See Rule 16(3&4)]

Application before District Level Certificates Verification Committee

To,

The Chairman,

District Level Certificates Verification Committee,

....

Sub: Regarding Verification of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes Certificate

Sir,

I, the undersigned____________________, Father/Husband's Name______________, Post_________, Department____________ hereby present the Social Status Certificate (original/copy) of Mr/Mrs/Ms______________(Applicant's Name), Husband/Father's Name_________________ for verification according to the guidelines of Verification Committee/Non-Applicant______________ (Public Planner/Educational Institution/Constitutional Unit/State Government/Central Government). I attach the following documents for the verification of claim of Mr./Mrs./Ms.____________________

1 Applicant's name and surname

2 Name and surname of Father of the Applicant

3 Name and Surname of Father's father (Paternal Grandfather) of the Applicant

4 Name and surname of Mother of the Applicant

5 Name and Surname of Mother's father (Maternal Grandfather) of the Applicant

If Applicant is a lady, her Husband's name and

6 Surname

7 Applicant's Date of Birth:

8 Place of Residence-

S.No.	Place of Residence	Mohalla/Ward number	Village/Town/City	Tehsil	District and State	Date or Year of Residence
1.	Applicant's present place of residence					
2.	Applicant's place of residence in State of Chhattisgarh					

3.	If Applicant's Date of Birth is on or before 10/08/1950 (SC)/ 06/09/1950 (ST)/ 26/12/1984 (OBC), then His/Her permanent address on such date					
	If Applicant's Date of Birth is after 10/08/1950 (SC)/ 06/09/1950 (ST)/ 26/12/1984 (OBC), then His/Her Father/Ancestor's permanent address on such date					
4.	Place of Residence of Applicant's Father in Chhattisgarh State					
5.	Permanent address of Applicant's Paternal Grandfather Residence					

9. Educational Information:

S.No.	Applicant's Educational Information	Primary	Secondary	Higher Secondary	University
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Year of Education				
2.	Name of Institution				
3.	Village/City/State				
4.	Block/Tehsil				
5.	District/State				

S.No.	Educational Information of Applicant's Father	Primary	Secondary	Higher Secondary	University
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Year of Education				
2.	Name of Institution				
3.	Village City/State				
4.	Block/Tehsil				
5.	District/State				

S.No.	Educational Information of Applicant's Mother	Primary	Secondary	Higher Secondary	University
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Year of Education				
2.	Name of Institution				
3.	Village City/State				
4.	Block/Tehsil				
5.	District State				

S.No.	Educational Information of Applicant's Father's Father	Primary	Secondary	Higher Secondary	University
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Year of Education				
2.	Name of Institution				
3.	Village City/State				
4.	Block/Tehsil				
5.	District/State				

10. Information relating to Property:

S.No.	Immovable property/Agricultural Land/House/Shop/Others	Area	P.H.N.	R.I.C	Tehsil/District	Year of obtaining/buying property
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	On Applicant's Father's name					
2.	On Applicant's Paternal Grandfather's Name					
3.	On Applicant's Maternal Grandfather's Name					

11. Information relating to Caste:

S.No.	Relative	Caste	Sub-Caste	Clan (Gotra)	Clan Sign (Gotra Chinnha)	Line (Totem)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.	Applicant's Father					
2.	Applicant's Mother's Father					
3.	If Applicant is a Lady, then her Husband					

12. Information relating to Occupation:

S.No.	Relative	Traditional Occupation	Present Occupation
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Applicant's occupation		
2.	Occupation of Applicant's Father		
3.	Occupation of Applicant's Paternal Grandfather		
4.	Occupation of Applicant's Maternal Grandfather		
5.	Occupation of Applicant's spouse		

13. Applicant's Mother tongue
14. If Applicant's caste has a separate dialect, then name of the dialect
15. If Applicant's Caste has God/Goddess then name of the God/Goddess
16. Name of important Gods/Goddesses of Applicant's caste
17. Name of Folk Dances of Applicant's Caste
18. Name of Folk Songs of Applicant's Caste
19. Name of important festivals of Applicant's Caste
20. Whether matrimonial relation with son/daughter of father's sister is permitted in Applicant's Caste?
21. Whether matrimonial relation with son/daughter of mother's brother is permitted in Applicant's Caste?
22. Whether custom of Bride-Pricing is prevalent in Applicant's Caste?
23. Whether custom of dowry is prevalent in Applicant's Caste?
24. Name of those Castes/Clans with whom marriages of Applicant's Caste/Clan are possible
25. Name of those Castes with whom Applicant's Caste has the relation of Roti (Bread)
26. Name of Castes those are equivalent to Applicant's Caste
27 Applicant's Religion
28 Religion of Applicant's father
29. Details of Applicant's Relatives

S.No.	Detail	Father's Brother (Paternal Uncle)	Mother's Brother (Maternal Uncle)	Husband of Mother's Sister	Husband of Father's Sister	Wife's Father (Father in-law)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Name					
2.	Caste					
3.	Sub-Caste					
4.	Clan (Gotra)					
5.	Occupation					
6.	Village/Town of Residence					
7.	Tehsil					
8.	District					

30. Attached documents:

(1) Below-mentioned documents of Applicant's father/ancestors mentioning their caste:-

a Revenue document of ancestors (case file)

b Jama-Bandi (Survey) or Girdawari b1

c State Settlement; OR

d Document of Rights (1954); OR

e Survey of Forest Department/Forest Rights Certificate; OR

f Admission Register of educational institution; OR

g Register of Birth or Death; OR

h National Register of Citizens (1949); OR

i Copy of Caste Certificate, issued earlier to Father, Ancestor or a relative; OR

j Census (1931);

2 Such domicile certificate or any other document verifying that ancestors of the applicant were residing in the geographical limits of Chhattisgarh before the date 10/08/1950 (Scheduled Caste), 6/09/1950 (Scheduled Tribe) or 26/12/1984 (Other Backward Class).

3	Family Tree commencing from ancestors to Caste certificate holder as obtained by Patwari.	Yes/No
4	If applicant's father is/were an employee of State Government and in relation to SC/ST/OBC, before dated 10/08/1950, 06/09/1950, 26/12/1984 where resident of existing State of Madhya Pradesh and were allocated to the State of Chhattisgarh on State Re-Organization, related documents.	Yes/No
5	If the applicant belongs to OBC and his father/mother is a government employee, document verifying their post and income certificate or copy of Form 16 of the preceding financial year.	Yes/No
6	Envelope having full and legible address of the Applicant bearing adequate postage stamps (in case the certificate is desired through post)	Yes/No
7	Affidavit of the Applicant (prescribed in Form 2A)	Yes/No

I hereby solemnly affirm that the information contained in the application is true and correct to the best of my knowledge and belief

(Applicant's Signature)

Place:

Date:

Form- 2A

[See Rule 3(3)(a)]

Affidavit for issue of Social Status Certificate

Affix passport size photograph
Signature of applicant

I Mr/Mrs/Ms. _____________, son/daughter of ______________, aged ___ Year_____, occupation________, resident of_____________, Tehsil________, District__________, State__________ hereby solemnly affirm the following :-

1. That I have applied for the issuance of Social Status Certificate before the Competent Authority in Form 1A.

2. That I have, according to the prescribed form, attached the copy of _____ documents along with the application letter before the Competent Authority. The document mentioned above has been obtained lawfully by the person(s) authorized by me and I have not made any unauthorized amendment/omission/change whatsoever of any kind in the document mentioned above or its original copy by me or my well-wishers and according to the best of my knowledge, the above-mentioned document/documents have not been concocted with any malicious intention.

3. That I have attached the family tree showing relation with those relatives whose validity certificates have been attached with this application.

4. I hereby declare that, in pursuance of obtaining the Social Status Certificate, the information rendered by me in the Application presented in the prescribed form before the Competent Authority, is true to the best of my knowledge and belief and if such information is found false or incorrect, then proceedings in accordance with Section 8-13 of Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Act, 2013 shall be initiated against me.

Signature______________
Name of the Applicant_____________

Verification

I Mr/Mrs/Ms________________ son/daughter of____________ hereby verify that the statements mentioned in Clause 1 to 4 of this affidavit are true to the best of my knowledge and belief, and I verify them in full consciousness.

Signature_____________
Name of the Applicant_____________

Form- 2B

[see Rule 15(1)]

Affidavit by Person appointed, admitted, elected, named or nominated on the Reserved Seat

I, Mr/Mrs/Ms __________________, Son/Daughter of Mr. ______________, Aged ____, Year____, Occupation _________, Resident of _______, Tehsil_______, District ______, State ________ solemnly state the following:

(1) I have submitted an Application for the post/seat/benefit/service reserved for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes.

(2) My appointment/ admission/election/naming/nomination have been made under the reserved post/seat.

(3) I have submitted my Social Status Certificate issued by Competent Authority______________ (name and post of authorized officer) certifying that I belong to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes.

(4) The Social Status Certificate submitted by me has been issued by the prescribed officer and through prescribed process and in order to get such certificate, all information rendered by me to the Competent Authority is true to the best of my knowledge and belief.

(5) In case a complaint is received in connection with above mentioned Certificate that Certificate has been obtained fraudulently or wrongly and if on this basis or otherwise, suo moto, an inquiry is held by the District Level Certificates Verification Committee regarding my Social Status or the Social Status Certificate is referred for inquiry to the High Power Certification Scrutiny Committee and if the above committee or committees after inquiry and decision pass an order stating that Certificates has been obtained wrongly or fraudulently, my appointment/admission/election selection, profit given, facilities given, as the case may be, can be cancelled/terminated/excluded with immediate effect by the non-applicant (name of concerned public employer/educational institution/statutory body/ State Government/Central Government) __________, and I shall be liable to refund the amount spent on such appointment/ admission/election/selection/profit /facilities given etc. and the above-mentioned amount may be recovered as arrears of land revenue, and I shall also be liable to action prescribed in Section 8-13 of Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Act, 2013.

Signature

Verification

I Mr/Mrs/Ms__________________ son/daughter of__________ hereby verify that the statements mentioned in Clause 1 to 5 of this affidavit are true to the best of my knowledge and belief, and I verify them in full consciousness.

Signature__________

Name of the Applicant __________

Form- 2C

[see Rule 16 (3 & 4)]

Affidavit to be filed before District Level Certificates Verification Committee

Affix passport size photograph
Signature of applicant.

I, ________________, son/daughter/wife of ____________, aged _____, Year _____, occupation _______, resident of __________, Village _______, Tehsil _________, District _______, State ____________, hereby solemnly affirm that:

1. I have applied for verification of my social status certificate before District Level Certificates Verification Committee in prescribed Form and in support of my claim, I hereby present this affidavit.

2. I have attached with my application, copies of the documents required under Sub-Rule (3) of Rule 3 in prescribed Format to verify Social Status Certificate before District Level Certificates Verification Committee. Above mentioned documents have been obtained by me legally from Competent Authority/authorities and I or any of my well-wisher have not made any correction/change/rectification and to the best of my knowledge and belief no forgery has been committed in such document/documents.

3. I have attached the family tree showing relation with those relatives whose valid caste certificates have been attached with this application.

4. I hereby declare that the information given by me in the prescribed format before social status certificate Verification Committee for verification of social status certificate is true to the best of my knowledge and I understand that in case the same is found false at any level, an action under Section 8-13 of Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Act, 2013 can be initiated against me.

Signature

Place_________

Date__________

Verification

I ________________ son/daughter/wife of____________ hereby verify that the statements mentioned in Clause 1 to 4 of this affidavit are true to the best of my personal knowledge and belief, and I verify them today on _______, place _______, Chhattisgarh under my signature.

Signature

Form-3A
(See Rule 5)

Office of the Competent Authority

Division _________, District _______, Chhattisgarh

Inward No. _________ Dated _______

Acknowledgement of Application [Receipts]

(**Original** copy of the memo should be given to the applicant and its counterfoil be maintained in the office)

Received today ______ an application to issue a Social Status Certificate from Mr/Mrs/Ms ________ son/daughter/wife of ________ aged ______ Year ________ occupation _______ resident of _______ Tehsil ______ District ________ State _________. Following documents have been received in original/attested copies thereof along with application :-

(1) **Following** document of the Applicant or Applicant's father/ ancestors mentioning his caste:

(I) Revenue document of ancestors (case file);
(II) Jama-Bandi (Survey) or Girdawari;
(III) State Settlement;
(IV) Document of Rights (1954);
(V) Census (1931);
(VI) Survey of Forest Department;
(VII) National Register of Citizens (1949);
(VIII) Register of Birth or Death;
(IX) Admission Register, in case father or ancestors were literate;
(X) Caste Certificate, issued earlier to Father, Ancestor or a relative;
(XI) Any other document which proves the caste, as claimed by the applicant;
(XII) ________________________________

(2) Such document duly attested copy or copies of the documents verifying that his ancestors were residing in the geographical limits of Chhattisgarh on or before the date of Presidential Notification or date of notification in relation of Other Backward Classes, as the case may be;
(3) Family Tree given by Patwari mentioning from ancestors to Applicant.
(4) Affidavit of Applicant or his Father or his Legal Guardian in prescribed **Form-2A** (in original).
(5) Documents showing that parent of the applicant are officer/employee of the State Government and on or before the date of notification of Presidential Notification and were resident of present Madhya Pradesh and on reorganization of the then State of Madhya Pradesh they have been allocated to State of Chhattisgarh.
(6) For Other Backward Classes, income certificate of father for preceding financial year or certified copy of Form 16.
(7) Envelope having appropriate postage stamp and complete and legible address.

Signature and seal of recipient

Form-3B

(see Rule 5)

Office of the Competent Authority

Memo for Return of Application [Return Memo]

(Original copy of the memo should be given to the applicant and its counterfoil be maintained in the office)

Serial No. ______ Date:________

The application to issue Social Status Certificate by Mr/Mrs/Ms __________ son/daughter of ________ resident of _________ lacks following documents. Hence, it is hereby directed that the following documents marked as (◘) be submitted with the application, so that proceeding to issue social status certificate can be initiated:-

(1). Following document of the Applicant or Applicant's father/ ancestors mentioning his caste:

(I) Revenue document of ancestors (case file);
(II) Jamabandi (Survey) or Girdawari;
(III) Land Settlement;
(IV) Record of Rights (1954);
(V) Census (1931);
(VI) Survey of Forest Department;
(VII) National Register of Citizens (1949);
(VIII) Register of Birth or Death;
(IX) Admission Register, in case father or ancestors were literate;
(X) Caste Certificate, issued earlier to Father, Ancestor or a relative;
(XI) Any other document which proves the caste, as claimed by the applicant;
(XII) ___________________________

(2) Such document should be duly attested copy or copies of the documents verifying that his ancestors were residing in the geographical limits of State of Chhattisgarh on or before the date of Presidential Notification or Date of Notification relating to Other Backward Classes, as the case may be.

(3) Family Tree given by Patwari mentioning from ancestors to Applicant.

(4) Affidavit of Applicant or his Father or his Legal Guardian in prescribed **Form-2A** (in original).

(5) Documents showing that parent of the applicant are officer/employee of the State Government and on or before the date of notification of Presidential Notification were resident of present Madhya Pradesh and after reorganization of the then State of Madhya Pradesh they have been allocated to State of Chhattisgarh.

(6) For Other Backward Classes, income certificate of father for preceding financial year or certified copy of Form 15.

(7) Envelope having appropriate postage stamp and complete and legible address.

Signature of the Applicant Signature of the Authority

Form-3C

(see Rule 6)

Inability Memo

(This form shall be printed on the back of Form 2B)

To,

Affix passport size photograph
Signature of applicant.

Competent Authority
Sub-Division__________
District_________

Subject: Regarding inability to make available necessary document for issue of Social Status Certificate.

Sir,

I __________(Name of the Applicant) son/daughter of ____________ Post____________Resident of _________Solemnly affirm that I have applied for **Social Status** Certificate on ________ (Date) with Receipt No. __________.But I am not able to make **available the** required documentary evidence under sub-rule (3) of Rule 3 to substantiate my claim **because:**

(1) Nobody is/was literate amongst my Father or Ancestors or blood relatives of my Father;
(2) My Father or Ancestors or Blood relatives of my father did not have any immovable property and there is no document available regarding such immovable property;
(3) There is no entry regarding my father or ancestors in the public documents required under Rule 3;
(4) I do not possess any document could be used as a proof;

Hence I request you to issue Social Status Certificate after making inquiry under Rule 8 on the basis of the affidavit submitted by me. I shall submit before authority required information at the time of inquiry, I shall present myself on the date fixed by him and shall give full cooperation to seek presence of desired persons to support my claim.

Signature ________

Verification

I Mr/Mrs/Ms__________________ son/daughter of_____________ hereby verify that the statements mentioned above in this affidavit are true to the best of my knowledge and belief, and I verify them in full consciousness.

Signature_____________

Name of the Applicant_____________

Form-3D

[see Rule 16(2)]

Office of the District Level Certificates Verification Committee

District _______, Chhattisgarh

Inward No. __________ Dated ______

Acknowledgement of Application [Receipt]

(Original copy of the memo should be given to the applicant and its counterfoil be maintained in the office)

Received today _______ an application for verification of Social Status Certificate from Mr/Mrs/Ms _________ son/daughter/wife of ________ aged _______ Year ________ occupation _______ resident of _______ Tehsil ______ District ________ State _________.

Following documents have been received in original/attested copies thereof along with application :-

(1). Following document of the Applicant or Applicant's father/ ancestors mentioning his caste:
- (I) Revenue document of ancestors (case file);
- (II) Jama-Bandi (Survey) or Girdawari;
- (III) State Settlement;
- (IV) Document of Rights (1954);
- (V) Census (1931);
- (VI) Survey of Forest Department;
- (VII) National Register of Citizens (1949);
- (VIII) Register of Birth or Death;
- (IX) Admission Register, in case father or ancestors were literate;
- (X) Caste Certificate, issued earlier to Father, Ancestor or a relative;
- (XI) Any other document which proves the caste, as claimed by the applicant;
- (XII) ____________________________________

(2) Such document or duly attested copy or copies of the documents verifying that his ancestors were residing in the geographical limits of Chhattisgarh on or before the date of Presidential Notification or date of notification relating to Other Backward Classes, as the case may be;
(3) Family Tree given by Patwari mentioning from ancestors to Caste Certificate holder/ Social Status Certificate holder.
(4) Affidavit of Applicant or his Father or his Legal Guardian in prescribed **Form-2A** (in original).
(5) Documents relating to parent of the applicant showing that they are officer/employee of the State Government and on or before the date of Notification of Presidential Notification were resident of present Madhya Pradesh and on reorganization they have been allocated to State of Chhattisgarh.
(6) For Other Backward Classes. income certificate of father for preceding financial year or certified copy of Form 16.
(7) Envelope having appropriate postage stamp and complete and legible address.

Signature and seal of recipient

Form- 4A(1)

(see Rule 9)

OFFICE OF COMPETENT AUTHORITY

Division __________ District ___________ Chhattisgarh

Book No. **Date:**

Serial No.

SOCIAL STATUS CERTIFICATE

(For Scheduled Castes)

(On sky-blue paper)

It is hereby certified that Mr/Mrs/Ms ________________ son/daughter of ____________ resident of village _________ Tehsil __________ District __________, belongs to _________ caste and according to Article 341, such caste is included in connection with the State of Chhattisgarh as Scheduled Caste and such caste is mentioned on the serial number ________ of Schedule 3, under Section 19 of Madhya Pradesh Reorganization Act, 2000. Therefore, Mr/Mrs/Ms ________________ son/daughter of ____________ belongs to Schedule Caste.

2- This certificate has been issued under the provisions that in case the District Level Certificates Verification Committee or High Power Certification Scrutiny Committee during its inquiry/inspection finds the claim submitted by Mr/Mrs/Ms________________ is false or fraudulent, the certificate shall be deemed to be cancelled with immediate effect and notwithstanding contained anything under any other law for the time being in force, action shall be initiated under Section 8-13 of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Act, 2013.

Signature
Name of Certifying Officer
Designation/Seal

Form- 4A(2)
(see Rule 9)

OFFICE OF COMPETENT AUTHORITY
Division __________ District ___________ Chhattisgarh

Book No. **Date:**

Serial No.

SOCIAL STATUS CERTIFICATE

(For Scheduled Tribes)

(On light-pink paper)

It is hereby certified that Mr/Mrs/Ms ________________ son/daughter of ____________ resident of village _________ Tehsil __________ District __________, belongs to _________ tribe and according to Article 342, such tribe is included in connection with the State of Chhattisgarh as Scheduled Tribe and such tribe is mentioned on the serial number ________ of Schedule 3, under Section 20 of Madhya Pradesh Reorganization Act, 2000. Therefore, Mr/Mrs/Ms ________________ son/daughter of ____________ belongs to Schedule Tribe.

2- This certificate has been issued under the provisions that in case the District Level Certificates Verification Committee or High Power Certification Scrutiny Committee during its inquiry/inspection finds the claim submitted by Mr/Mrs/Ms________________ is false or fraudulent, the certificate shall be deemed to be cancelled with immediate effect and notwithstanding contained anything under any other law for the time being in force, action shall be initiated under Section 8-13 of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Act, 2013.

Signature
Name of Certifying Officer
Designation/Seal

Form- 4A(3)
(see Rule 9)

OFFICE OF COMPETENT AUTHORITY
Division __________ District ___________ Chhattisgarh

Book No.   **Date:**

Serial No.

SOCIAL STATUS CERTIFICATE

(For Other Backward Classes)

(On light-yellow paper)

It is hereby certified that Mr/Mrs/Ms ________________ son/daughter of ____________ resident of village ____________Tehsil __________ District __________, belongs to _________ caste. This caste has been recognized as Other Backward Classes vide Notification no. F-8-5/25/4/84 dated 26th December 1984, as amended from time to time by subsequent notifications, and this caste is mentioned at serial no. ____ as Other Backward Class of Chhattisgarh State. Therefore, Mr/Mrs/Ms ________________ son/daughter of ____________ belongs to Other Backward Class.

2- This is also certified that Mr/Mrs/Ms ____________ does not belong to the category of creamy layer persons/ classes which have been mentioned in the circular no. 36012/22/93/ESTT(SCT) dated 8/09/1993 as amended by notification no. 36033/3/2004-ESTT(Reservation) dated 14/10/2008 of Government of India, Department of Personnel and Training and in column 3 of circular number F-9-3/2001/1-3, dated 24/06/2009 of General Administration Department.

3 This certificate has been issued under the provisions that in case the District Level Certificates Verification Committee or High Power Certification Scrutiny Committee during its inquiry/inspection finds the claim submitted by Mr/Mrs/Ms______ ________ is false or fraudulent, the certificate shall be deemed to be cancelled with immediate effect and notwithstanding contained anything under any other law for the time being in force, action shall be initiated under Section 8-13 of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Act, 2013.

Signature

Name of Certifying Officer

Designation/Seal

Form- 4B
(See Rule 10)
OFFICE OF COMPETENT AUTHORITY

Book No. **Date:**
Serial No.

PROVISIONAL SOCIAL STATUS CERTIFICATE
(On white paper)

(Valid only for the purpose of granting admission and scholarship/stipend or any such other purposes in educational institutions of primary/secondary level)

It is hereby certified that on the basis of affidavit submitted by Mr/Mrs/Ms ________________ son/daughter of ____________ resident of village _________ Tehsil __________ District __________, he/she belongs to _________ caste/tribe/OBC (not included in creamy layer of OBC) and according to Article 341/342/Notification of the State Government, such caste is included in connection with the State of Chhattisgarh as Scheduled Caste/Scheduled Tribe/ OBC and such caste/tribe is mentioned on the serial number ________ of Schedule 3, under Section 19 of Madhya Pradesh Reorganization Act, 2000/ Schedule 4, under section 20 of Madhya Pradesh Re-Organization Act, 2000/ State List of OBC and Mr/Mrs/Ms ________________ son/daughter of ____________ belongs to Schedule Caste/ Schedule Tribe/OBC.

2- It is certified that annual family income of Mr/Mrs/Ms ________________ is Rs. ____________.

3- This certificate has only been issued for the immediate purpose of getting scholarship/stipend provided by Government of India/ State Government and the certificate is valid only for six months from the date of issue or till the issue of permanent social status certificate, whichever is earlier.

Signature
Name of Certifying Officer
Designation/Seal

Form-4C

(see Rule 11)

OFFICE OF COMPETENT AUTHORITY

Division __________ District ___________ Chhattisgarh

Book No. **Date:**

Serial No.

SOCIAL CASTE CERTIFICATE (MIGRANT)

This is to Certify that Shri/Shrimati/Kumari -------------------Son/Daughter of -------------------------of Village/Town ------------------------in----------------District/Division -----------------------------------of the State/Union Teritory -------------------------- belongs to the ------------------------------Caste/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe Under :-

1. The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
2. The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
3. The Constitution (Scheduled Castes)(Union Teritories) Order, 1950
4. The Constitution (Scheduled Castes)(Union Teritories) Order, 1951 As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 the Bombay Reorganisation Act, 1960 the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (Amendment) Act, 1976.
5. The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956
6. The Constitution (Andman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976
7. The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962
8. The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962
9. The Constitution (Pondichery) Scheduled Castes Order, 1964
10. The Constitution Scheduled Tribes (Uttar Pradesh) Order, 1967
11. The Constitution (Goa, Daman And Diu) Scheduled Castes Order, 1968
12. The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970
13. The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978
14. The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978

*This Certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Shrimati/Kumari -----------------------Son/Daughter of --- of Village/Town -----------------------------------in------------------------------------District/Division --------- ------------------------ ---of the State/Union Territory ------------------------- who belong to the -------- ---------------------Caste/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory ------------------------------issued by the ----------------------------(name of prescribed authority) vide their no .... dated .... and the holder on the certificate is not entitled to any concession/ facilities extended to Scheduled Caste/ Scheduled Tribes by the Government of Chhattisgarh.

** Shri/Shrimati/Kumari ----------------------------- and or his/her family ordinary reside(s) at village/ town -------- -------------- of --------------------------- District/ Division of the State of Chhattisgarh.

Signature

Designation

(With seal of Officer)

*Applicable to Migrants only

**Not applicable to Migrants

Form-4D(1)

[see Rule 17(1)]

Serial No. ______ **Dated:**______

VERIFICATION CERTIFICATE

(For Scheduled Castes)

(On sky-blue paper)

Mr/Mrs/Ms ________________ son/daughter of ____________ resident of village _________ Tehsil __________ District __________, Chhattisgarh has been issued a Social Status Certificate serial no. ________ dated ________ by Competent Authority __________. In the light of document __________(details of the document) as required under Rule 3(3) of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Rules, 2013 and after the inquiry and satisfaction to this committee is verified.

2- Mr/Mrs/Ms ________________ son/daughter of ____________ resident of village _________ Tehsil __________ District __________, Chhattisgarh is of _________ caste/tribe is a Scheduled Caste of State of Chhattisgarh under Article 341 of the Constitution, which is mentioned on the serial number __________of Third Schedule of Section 19 of the Madhya Pradesh Reorganization Act, 2000.

Investigation Officer	Inquiry Officer/Member	Chairman
District Level	District Level	District Level
Certificates	Certificates	Certificates
Verification Committee	Verification Committee	Verification Committee
District __________	District __________	District __________
Chhattisgarh	Chhattisgarh	Chhattisgarh

Form-4D(2)
[see Rule 17(1)]

Serial No. ______

Dated:_______

VERIFICATION CERTIFICATE

(For Scheduled Tribes)

(On light-pink paper)

Mr/Mrs/Ms ________________ son/daughter of ____________ resident of village _________ Tehsil __________ District ___________, Chhattisgarh has been issued a Social Status Certificate serial no. ________ dated ________ by Competent Authority __________. In the light of document ___________(details of the document) as required under Rule 3(3) of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Rules, 2013 and after the inquiry and satisfaction to this committee is verified.

2- Mr/Mrs/Ms ________________ son/daughter of ____________ resident of village _________ Tehsil __________ District ___________, Chhattisgarh is of _________ caste/tribe is a Scheduled Tribe of State of Chhattisgarh under Article 342 of the Constitution, which is mentioned on the serial number __________of Third Schedule of Section 20 of Madhya Pradesh Reorganization Act, 2000.

Investigation Officer	Inquiry Officer/Member	Chairman
District Level	District Level	District Level
Certificates	Certificates	Certificates
Verification Committee	Verification Committee	Verification Committee
District __________	District __________	District __________
Chhattisgarh	Chhattisgarh	Chhattisgarh

Form- 4D(3)

[see Rule 17(1)]

Serial No. ______ **Dated:**______

VERIFICATION CERTIFICATE

(For Other Backward Class)

(On light-yellow paper)

Mr/Mrs/Ms ________________ son/daughter of ____________ resident of village __________Tehsil __________ District __________, Chhattisgarh has been issued a Social Status Certificate serial no.________ dated ________ by Competent Authority __________. In the light of document ___________(details of the document) as required under Rule 3(3) of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Rules, 2013 and after the inquiry and satisfaction to this committee is verified.

2- Mr/Mrs/Ms ________________ son/daughter of ____________ resident of village _________ Tehsil __________ District __________, Chhattisgarh is of _________ caste/tribe is a member of Other Backward Classes of the State of Chhattisgarh as per Notification no. F-8-5/25/4/84 dated 26th December 1984, as amended from time to time, and this caste is mentioned on serial no. ____ as Other Backward Class of Chhattisgarh State.

3- This is to certify that total annual family income of Mr/Mrs/Ms ________________ is **Rs.** _____________.

Investigation Officer	Inquiry Officer /Member	Chairman
District Level	District Level	District Level
Certificates	Certificates	Certificates
Verification Committee	Verification Committee	Verification Committee
District __________	District __________	District __________
Chhattisgarh	Chhattisgarh	Chhattisgarh

Form-5A
(See Rule 4)

Format for Registration of Application received at the Office of the Competent Authority

Sl.	Case No.	Date of receipt of Application	Name of Applicant	Father's Name	Current Address	Caste which Claimed	Date of issue of Certificate
1	2	3	4	5	6	7	8

Form-5B
(Rule 10)

Format for Registration and Forwarding of Application for Provisional Social Status Certificate received at the Office of the Competent Authority

Sl.	Case No.	Date of receipt of Application	Name of Applicant	Father's Name	Current Address	Caste which Claimed	Date of issue of Provisional Certificate	Date of forwarding to Competent Authority for Permanent Certificate
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Form-5C
(Rule 13)

Format for Registration of Social Status Certificate Documents

Sl.	Case No., Book No., and Serial No. of Certificate	Date of issue of Certificate	Name of Applicant	Father's Name	Current Address	Certificate of which Caste Issued	Detail of Documents enclosed	Name of Issuing Authority
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Form-5D
(see Rule 16)

Format for Registration of Application received for Verification of Social Status Certificate

Sl.	Case No.	Date of receipt of Application	Name and detail of Non Applicant	Name of Applicant	Father's Name	Current Address	Date of issue of Certificate	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Form-5E

[See Rule 17 (2)]

Format for Registration of Documents for Verification Certificate

Sl.	Case No., Book No., and Serial No. of Certificate	Date of issue of Certificate	Name of Applicant	Father's Name	Current Address	Certificate of which Caste Issued	Detail of Documents enclosed	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Form 5F

[See Rule 18 (2)]

Format for Registration of Detail of Application forwarded by the District Level Certificates Verification Committee to the Scrutiny Committee

Sl.	Case No.	Name of Applicant/ Father's Name of whose Social Status Certificate has been forwarded to the Scrutiny Committee for Investigation and Scrutiny.	Name and Address of Competent Authority issuing the said Certificate	No. and Date of the Forwarded Social Status Certificate	Order No. and Date of Scrutiny Committee	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

Form-5G

(see Rule 19)

Format for Registration of Cases by Scrutiny Committee

Sl.	Case No.	Date of receipt of Application	Name of Applicant	Father's Name	Current Address	Date of receipt of Verification Certificate	Remarks
1.	2	3	4	5	6	7	8

Form-5H

[Rule 20 (7)]

Details of investigation of Cases received from the Scrutiny Committee by the Police Inspectors (Vigilance Cell)

(Separate Pages of Register be used for Each Case)

Sl.	Case No/Name of Applicant/ Father's Name/ Present address whose certificate is to be Investigated	Name/Father's Name/Current Address of Complainant, if any	Date of receipt of Case	Name of Police Inspector/s who has been assigned Investigation	Date of assigning Case for investigation	Detail of Dates and Places visited by Police Inspector/s for investigation	Name, Father's Name, Post held and other details of those persons interrogated/ Statements/ Affidavit obtained, by Police Inspector/s during investigation and date of such action
1	2	3	4	5	6	7	8

Name, Father's Name and other details of Applicant, his father/mother, relatives and other informed persons interrogated/Statements/ Affidavit obtained, by Police Inspector/s, during investigation and date of such action	Details of Public and Private Documents examined by Police Inspector/s, during investigation	Details of Public Documents Ceased by Police Inspector/s, during investigation	Detail of Documents submitted to Forensic and Handwriting expert by Dy. Spdtt. of Police and, date of submission	Date of receipt of Forensic and Handwriting report	Date of submission of Investigation report by the Police Inspector/s to the Dy. Spdtt. of Police	Date of Submission of Investigation Report by the Dy. Spdtt. of Police to the Committee
9	10	11	12	13	14	15

Form-5I

(see Rule 23 (5))

Format for Registration of Details of Certificates Confiscated by the Scrutiny Committee

Sl.	Case No.	Name/Father's Name of Applicant/Address of Applicant whose Social Status Certificate has been confiscated and ceased.	Name and Address of Competent Authority issuing the Social Status Certificate	No. and Date of the confiscated and ceased Social Status Certificate	Order No. and Date of Scrutiny Committee	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

Form-6A

[see Rule 20 (1)]

OFFICE OF HIGH POWER CERTIFICATION SCRUTINY COMMITTEE

Sl No............. **Date..........**

To,

The Deputy Supdtt. of Police
Vigilance Cell
(Investigation and Scrutiny of Social Status)
Raipur

Sub.: Investigation and Scrutiny of Social Status of Shri/Smt./Ku.., S/o./D/o,W/o, ..., resident of.................... - reg.

Ref.: Letter No.............. Dated................ of District Level Certificates Verification Committee................../ Govt. of Chhattisgarh (Name of Administrative Department)

Kindly find enclosed herewith Case No.:......................, of Shri/Smt./Ku ...., S/o,/D/o,W/o, ..., resident of ...., submitted for investigation and scrutiny by District Level Certificates Verification Committee, District.................., Chhattisgarh / Govt. of Chhattisgarh .... (Name of Administrative Department) vide their letter No. .... Dated .... As directed, you are requested to ensure that the case is investigated under provisions of Rule 20 of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Rules, 2013, by you in person or by Police Inspector's under you, and the report, containing clear opinion, along with originals of all documents, statements and affidavits of witnesses, is to be submitted to the Committee at the earliest.

2. You are also directed to ensure that details of the above investigation are maintained in the register of the Cell as per Form -5H of the Rule and a copy of the same is to be furnished to this Committee.

Encl.: **As above**

Member Secretary **OR** Vice Chairman
High Power Certification Scrutiny
Committee

Copy Endorsed to: **Date..........**

1. Secretary/Principal Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development Department, Mantralaya, Mahanadi Bhavan, New Raipur.
2. Chairman, District Level Certificates Verification Committee, District.................., Chhattisgarh/Secretary/Principal Secretary/Addtl. Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh, ... Department (Name of Administrative Department), Mahanadi Bhavan, New Raipur.

Member Secretary **OR** Vice Chairman
High Power Certification Scrutiny
Committee

Form-6B
[see Rule 22 (1)]

OFFICE OF HIGH POWER CERTIFICATION SCRUTINY COMMITTEE

Sl No............. **Date..........**

To,

Shri/Smt./Ku. ....
S/o,/D/o,W/o, ...
Resident of.......................................

SHOW CAUSE NOTICE

Investigation of your Social Status Certificate, submitted for investigation and scrutiny to this Committee by District Level Certificates Verification Committee, District ...., Chhattisgarh / Govt. of Chhattisgarh, ... (Name of Administrative Department) vide their letter No. .... Dated..........., has been conducted by Dy. Supdtt. of Police. Vigilance Cell (Investigation and Scrutiny of Social Status). As per the report of Dy. Supdtt. of Police, your Social Status Certificate is false and fraudulently obtained.

2. Therefore, in exercise of powers conferred by Section 15 of Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Act, 2013, and as prescribed in Rule 22 of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (regulation of Social Status Certification) Rules, 2013, this Committee has made the penultimate decision to investigate your claimed Social Status Certificate on the basis of investigation report submitted by the Dy. Supdtt. of Police of Vigilance Cell (Social Status Investigation and Scrutiny Committee), Raipur.

3. The investigation report and the copy of statement of relevant witnesses and other documents submitted by the Dy. Supdtt. of Police of Vigilance Cell (Social Status Investigation and Scrutiny Committee), Raipur are enclosed herewith. You are directed to submit your clarification in this regard within 15 days from the date of receipt of this letter and say:

1. Whether you desire a Personal Hearing.
2. Whether you desire an Oral Enquiry
3. If you desire to produce any witness and documents in support of your Social Status, if yes, submit list.

4. You are also informed that if your clarification in this regard is not received by this Committee within the above mentioned period, it shall be assumed that you have nothing to say in this regard and one-sided action shall be taken against you.

Encl.: As above

Member Secretary **OR** Vice Chairman
High Power Certification Scrutiny
Committee

Form-6C
[see Rule 22 (5)]

OFFICE OF HIGH POWER CERTIFICATION SCRUTINY COMMITTEE

Sl No.............. **Date..........**

To,

Tehsildar/ Addl. Tehsildar/ Nayab Tehsildar
....

Sub.: Public notice about Investigation and Scrutiny of Social Status of Shri/Smt./Ku ...., S/o./D/o,W/o, ..., resident of......................, by beating of Drum - reg.

The investigation and scrutiny of the Social Status Claim of Shri/Smt./Ku ...., S/o,/D/o,W/o, ..., resident of.................... is being done by this Committee, in exercise of powers conferred by Section 15 of Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Act 2013, and as prescribed in Rule 22 of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Rules, 2013.

2. If any person or institution from the present, erstwhile or permanent residence of Shri/Smt./Ku ...., S/o,/D/o,W/o, ..., resident of....................., wishes to support or oppose the Social Status Claim of the applicant, it may do so.

3. Therefore, a public notice may be circulated by way of pasting written notice or by beating drum in the context of the above enquiry of Shri/Smt./Ku....................................., S/o,/D/o,W/o, ..., resident of....................., in ....(name of Village/Mohalla/Area) that if any resident or institution or any other person of the area who has knowledge of the Social Status of Shri/Smt./Ku....................................., S/o,/D/o,W/o, ..., resident of....................., may appear before the Committee on ....(Date)................ (Hour) ....(Place) and may produce oral statement or affidavit any relevant document.

Member Secretary OR Vice Chairman
High Power Certification Scrutiny
Committee

Form- 7A
[see Rule 27 (2)]

Progress report regarding issuance of Social Status Certificate or rejection of application

Name of District Year 20.....

Sl.	Name of Sub Division	Month	No. of Applications received during the Month	No. of pending Applications for the previous Months	No of Total Applications (3+4)	No of Certificates issued during the month	No of rejected Applications	No of Certificates forwarded to District Verification Committee	No of Applications pending at the end of the month
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Form- 7B
[see Rule 27 (3)]

Progress report regarding verification of Social Status Certificate, rejection or forwarding of application to the Scrutiny Committee

Name of District Year 20.....

Sl.	Month	No of Application/ Certificates received from Sub Division Officers	No of Applications/ Complaints received from non-applicants	No. of pending Applications for the previous Months	No of Total Applications (3+4)	No of Certificates verified during the month	No of rejected Applications	No of Certificates forwarded to Scrutiny Committee	No of Applications pending at the end of the month
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Form 7C
[see Rule 27 (4)]

Progress report regarding disposal of Social Status Certificate and Complaints received regarding them

Name of District

Year 20.....

Sl.	Month	No of Cases received from State Government during the month	No of Cases received from Verification Committees	No. of pending Cases for the previous Months	No of Total Cases (3+4)	No of Cases disposed during the month	No of rejected Certificates	No of Cases pending at the end of the month	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.